# 3. भारतीय रेल में निर्माण संगठन के कार्य प्राक्कलन में दिए गए निर्देशों और सामान्य प्रभारों का प्रावधान तथा उपयोग

## कार्यकारी सार

*भारतीय रेल में किए गए मुख्य कार्य/परियोजनाओं के प्रत्येक प्राक्कलन में कार्य/परियोजना के निष्पादन काम में लगे कर्मचारियों की लागत और कार्यालय खर्चों को शामिल करने के लिए निर्देश और सामान्य (डीएण्डजी) प्रभारों का प्रावधान है। रेलवे बोर्ड ने (क) कार्य की अनुमानित लागत की प्रतिशतता के रूप में विभिन्न कार्य प्राक्कलनों में डीएण्डजी प्रभारों के प्रावधान तथा (ख) मौद्रिक संदर्भ में प्रत्येक पद धारक द्वारा कार्य को दर्शाने वाले राजपत्रित पदों के सृजन के लिए मानदण्ड निर्धारित किया है। ये सभी पद भारतीय रेल हेतु संस्वीकृत स्थायी एवं अस्थायी पदों के अतिरिक्त हैं। उच्च प्रशासनिक ग्रेड(एचएजी), वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड(एसएजी), कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी), वरिष्ठ स्केल (एसएस) और कनिष्ठ/ग्रुप 'बी' वाले राजपत्रित पदों के सृजन हेतु मानदण्ड का प्रावधान रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है। प्रभारित कार्य स्थापना पर सम्पूर्ण व्यय, डीएण्डजी प्रभारों के निर्धारित स्थापना अवयवों के भीतर होना चाहिए।*

*भारतीय रेल (आईआर) में निर्माण संगठन के कार्य प्राक्कलन में प्रदान किए गए डीएण्डजी प्रभारों के प्रावधान और उपयोग के संबंध में लागू प्रावधानों और समय-समय पर जारी रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए लेखापरीक्षा की गई। यह देखा गया कि रेलवे बोर्ड ने चालू/संस्वीकृत पूँजीगत कार्यों के तहत निधियों के प्रावधान के लिए पदों के सृजन से जुड़ी एक लचीली प्रणाली निर्धारित किया है। इन पदों (कार्य प्रभारित पद कहे जाने वाले) पर व्यय की लेखाकरण का सिद्धांत प्रोदभवन पर आधारित है। मापन का सिद्धांत, भारतीय रेल वित्त संहिता में निहित है जो प्रोदभवन आधारित लेखाकरण के समान है।*

*मुख्य अवलोकन नीचे दिए गए हैं:*

### *डीएण्डजी प्रभारों का निर्धारण*

- *क्षेत्रीय रेलवे में कार्य प्रभारित पदों के सृजन हेतु कर्मचारियों की लागत निर्धारण में भिन्नता के परिणामस्वरूप ₹ 1327.59 करोड़ तक के पूँजीगत व्यय को कम बताया गया जिससे संभावित परिणामों के साथ बहुत से पदों का संचालन हुआ जैसे- 2011-14 की अवधि के दौरान कार्य के कार्यक्षेत्र में*

कमी/गैर-समापन/देरी और कार्यों के निष्पादन हेतु निधियों की गैर उपलब्धता हुई।

- रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वरिष्ठ स्केल और कनिष्ठ वेतनमान में पदों के संचालन में अनुपात न होने के कारण वरिष्ठ स्केल संवर्ग के अधिक पदों का संचालन और ₹ 70.12 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

**डीएण्डजी प्रभारों का वितरण एवं उपयोग**

- कार्मिक, आरपीएफ, यांत्रिकी, चिकित्सा, सतर्कता, यातायात, प्रचालन तथा वाणिज्यिक विभागों में पदों के संचालन तथा तदर्थ आधार पर इन विभागों के पदों के संचालन हेतु मानक/यार्डस्टिक का निर्धारण न होने के कारण पूँजीगत शीर्ष के तहत विनिर्माण कार्यों में ₹ 102.04 करोड़ व्यय की बुकिंग हुई।
- समान कार्य के भीतर डीएण्डजी प्रभारों में गैर डीएण्डजी अवयवों के व्यय, समान कार्य के भीतर गैर-डीएण्डजी अवयव में डीएण्डजी प्रभारों, स्थापित अवयव की अन्य कार्य में, एक कार्य के डीएण्डजी प्रभारों गैर स्थापित अवयव की अन्य कार्य में, पूँजीगत कार्यों के डीएण्डजी प्रभारों का व्यय राजस्व लेखाओं में, राजस्व व्यय का पूँजीगत कार्यों के डीएण्डजी प्रभारों की बुकिंग के परिणामस्वरूप कार्यों के व्यय की गलत बुकिंग हुई जिसके लिए यह निधि थी और 280 नमूना जांच कार्यों के संबंध में 2011-14 के दौरान ₹ 286.06 करोड़ के व्यय का गलत लेखाकरण हुआ।
- रेल प्रशासन ने विभिन्न विनिर्माण परियोजनाओं के लिए डीएण्डजी प्रभारों की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार कार्यवार/परियोजनावार डीएण्डजी प्रभारों का निर्धारण किया था किन्तु एक निश्चित वर्ष में एक निश्चित कार्य के प्रति बुक की गई राशि, कार्यों के संस्वीकृत प्राक्कलन में किए गए प्रावधान के अनुरूप नहीं था। इसके कारण 2011-14 के दौरान नमूना जांच किए गए 280 कार्यों के संबंध में डीएण्डजी प्रभारों पर 0 से 104.17 प्रतिशत तक व्यय की गलत बुकिंग हुई, जहां बजट प्रावधान किए गए थे।
- प्रभारित कार्य पद संबंधित वर्ष के लिए बजट प्रावधान के आधार पर सृजित/विस्तारित, औचित्यपूर्ण हैं। निधियों की आवश्यकता की समीक्षा हेतु अगस्त, दिसम्बर और फरवरी के दौरान तीन बजटीय समीक्षायें की जाती हैं। इसके आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा पुनर्विनियोजन निधियों का अंतिम आबंटन

*किया जाता है। हालांकि व्यय की समीक्षा के परिणामों से डीएण्डजी प्रभारों की उपलब्धता पर संभावित व्यय में परिवर्तन का निर्धारण नहीं किया जाता है। इसके कारण प्रावधानों की तुलना में व्यय में कटौती के लिए आनुपातिक पदों में कटौती न करने के कारण पदधारकों द्वारा निष्पादित कार्य की मात्रा (मौद्रिक संदर्भ में) की तुलना में ₹ 177.33 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। मार्च 2014 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने भी बजट अनुदानों में तदनुसार संशोधन के आधार पर कार्य प्रभारित पदों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया।*

- *नमूना जांच में चालू और पूर्ण हो चुके कार्यों में डीएण्डजी प्रभारों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत मार्च 2014 से कार्य की शुरूआत से ही क्रमशः ₹ 2206.43 करोड़ तथा ₹ 304.84 करोड़ का अधिक व्यय (कार्य निर्धारण में उपलब्ध प्रावधानों के अलावा) देखा गया था।*
- *लेखापरीक्षा द्वारा कार्यों के प्रावधान के प्रति व्यय में कमी के कारण डीएण्डजी प्रभारों के तहत ₹ 749.97 करोड़ के अधिक व्यय और वास्तविक व्यय के समानुपाती डीएण्डजी प्रभारों की औचित्यपूर्ण राशि के प्रति 2011-14 के दौरान क्षेत्रीय रेलवे में प्रावधान के प्रति व्यय में वृद्धि के कारण डीएण्डजी के तहत ₹ 563.02 करोड़ व्यय का निर्धारण किया गया था।*
- *कार्य रजिस्टर[142] सूचना प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण प्रबंधन तंत्र के रूप में कार्य करता है जिससे प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों वाले कार्य के प्रति किए व्यय की तुलना हो पाती है। हालांकि यह देखा गया कि इन रजिस्टरों का समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था क्योंकि प्राकलित लागत, बजट आबंटन के योजना शीर्षवार आदि को कार्य रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा था।*
- *रजिस्टर में पोस्टिंग को ठीक से नहीं किया गया था तथा कार्य रजिस्टरों में लगातार सुधार किया गया था।*

## 3.1 प्रस्तावना

जोन में रेलवे की निर्माण गतिविधियों (नई लाईन, ब्रिज, गैज रूपान्तरण तथा वर्तमान लाइनो का दोहरीकरण आदि) को एक जोनल रेलवे के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करने वाले मुख्य अभियंता (निर्माण) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत या रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करने वाले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) [सीएओ

[142] *पैरा 1472-ई के अतर्गत परिभाषित*

(सी)] अथवा महाप्रबंधक (निर्माण) के स्वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किया जाता है। इनकी जोनल कार्यालय में मुख्य अभियंता (निर्माण) तथा क्षेत्रीय संरचनाओ में उप मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता सहायक अभियंता (निर्माण) द्वारा सहायता की जाती है। इन कार्यो के क्रियान्वयन में एक आकलन की स्वीकृति सम्मिलित है। इस आकलन में सामग्री तथा मजदूरी की लागत हेतु प्रावधान निहित है। आकलन में पर्यवेक्षण तथा निर्देशन हेतु आवश्यक राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की लागत हेतु प्रावधानों के साथ –साथ संयंत्र निर्माण, अस्थायी आवास, आवासीय क्षेत्र, यंत्र तथा आकस्मिक व्यय आदि जैसे अन्य व्ययों हेतु प्रावधन निहित है, जिन्हें संचयी रूप में निर्देशन तथा सामान्य (डीएंडजी) प्रभारों के तहत शामिल किया जाता है। एक आकलन में डी एंड जी प्रभार प्रदान करने के स्केलों को समय-समय पर निदेशालय, क्षमता तथा रिसर्च (ईएंडआर) रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। डीएंडजी प्रभारों में विभिन्न उप शीर्षो[143] के तहत दो तत्व अर्थात, स्थापना शुल्क तथा स्थापना शुल्क के अलावा अन्य शुल्क शामिल है। इन प्रभारों के ब्रेकअप को रेलवे बोर्ड द्वारा आवधिक रूप से संशोधित किया जाता है। कार्यो के लिए स्वीकृत आकलन के क्रियान्वयन हेतु नकद प्रवाह आवश्यकता को वार्षिक बजटीय आवंटन कार्य के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आवंटनों को अनुदानों (मांग) हेतु मांग को मांग संख्या 16 के तहत प्राप्त किया जाता है।

निधियों के आवंटन के पश्चात कार्य प्रभारित पदों के सृजन हेतु एक पृथक स्पष्टीकरण को निदेशालय (ईएंडआर) द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जोनल रेलवे द्वारा बनाया जाता है तथा डीएंडजी प्रभारों के प्रावधानों के उपलब्ध अनुपयुक्त मांग के घटक स्वीकृत आकलनों में निहित है जो उन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक होंगे जिसके लिए निधियो को आवंटित किया गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) तथा उससे ऊंचे पदों की वैधता अवधि के निर्माण/विस्तार के लिए प्रस्तावों को सहयोगी फाइनेंस के परामर्श से रेलवे बोर्ड के स्थापना निदेशालय(राजपत्रित संवर्ग) को जोन के महाप्रबंधक द्वारा अग्रेषित किया जाता है। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) संवर्ग तक राजपत्रित पदों हेतु एक ऐसा ही

---

[143] डीएंडजी प्रभारों का ब्रेकअप-i) लेखापरीक्षा तथा लेखा, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्टिकल विभाग, मेकेनिकल, परिवहन विभाग, एसएंडटी विभाग, मेडिकल तथा स्वच्छता हेतु निर्देशन तथा सामान्य पर स्थापना प्रभार, ii) स्थापना प्रभार के अलावा अन्य संयंत्र निर्माण, यंत्र, कार्यालयी व्यय, अस्थायी आवासीय क्वार्टर , स्टोर पर सामान्य प्रभार, नकद तथा स्टोर की हानि तथा परिवहन हेतु लाइन के खुलने से लम्बित परिचालन व्यय।

प्रस्ताव सहयोगी फाइनेंस के परामर्श से स्वीकृति हेतु महाप्रबंधक को प्रस्तुत किया जाता है। अराजपत्रित पदों को उनके सहयोगी फाइनेंस के परामर्श से निर्माण विंग के प्रभारित अधिकारी द्वारा जोनल स्तर पर स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद स्वीकृत पदों को ओपन लाइन आर्गेनाइजेशन से कार्मिक प्राप्त करके परिचालित किया जाता है।

डीएंडजी प्रभारों जो बजटीय परिव्यय के अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन हेतु पदों के परिचालन के लिए उपलब्ध होगे, का निर्धारण कार्यवार तथा विभाग वार होना अपेक्षित है। इस प्रकार, प्रत्येक विभाग के लिए उपयोग होने हेतु प्रस्तावित संचयी डीएंडजी प्रभारों का निर्धारण किया जाता है। बजटीय परिव्यय पर आधारित इन प्रत्येक विभागों के अन्दर पदों के परिचालन में इन पदों की लागत का निर्धारण, पदों के सृजन तथा संबंधित वर्ष में क्रियान्वित होने के लिए निर्धारित कार्यो में उपलब्ध डीएंडजी प्रभारों के निर्धारित घटक की सीमा के लिए रेलवे बोर्ड के निर्धारित मानदण्ड सम्मिलित है। इस प्रकार, पद के परिचालन में उन विभिन्न कार्यों के घटकों का निर्धारण भी सम्मिलित है जो उसी वर्ष में पूर्ण होने अपेक्षित है। कार्यों/परियोजनाओं के विभिन्न घटकों के लक्ष्यो की प्राप्ति में किसी कमी अथवा पद की लागत के कम निर्धारण में आकलन में डीएंडजी प्रभारों हेतु प्रावधान से अधिक व्यय करने का जोखिम तथा/अथवा (क) अन्य कार्यों तथा (ख) लगत लेखा शीर्षो के तहत व्यय के लिए लेखाकरण का जोखिम निहित है।

## 3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वर्तमान लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे:

i. निर्माण परियोजनाओ को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक डीएंडजी प्रभारों के निर्धारण हेतु निर्माण संगठन द्वारा अपनाई गई पद्धति की समीक्षा करना।

ii. यह जांच कि क्या उपलब्ध डीएंडजी को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित विभाग वार मानदण्ड के अनुसार आवंटित किया गया था तथा उन्हें कुशलता, मितव्ययता तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग किया गया था।

रेलवे बोर्ड डीएंडजी प्रभारों के लिए मानदण्डों के निर्धारण की पर्याप्तता को इस लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

## 3.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

रेलवे बोर्ड तथा क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा जारी नियमों, विनियमों तथा निर्देशों को लेखापरीक्षा मानदण्ड के रूप में अपनाया गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित डीएंडजी प्रभारों की विस्तृत स्थिति को अनुसूची परिशिस्ट II में दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा समय –समय पर डीएंडजी प्रभारों के वितरण से संबंधित निर्देशो का सार अनुसूची परिशिस्ट I के रूप में संलग्न है।

## 3.4 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने 2011-12 से 2013-14 की तीन वर्षों की अवधि के लिए चालू तथा पूर्ण परियोजनाओं में डीएंडजी प्रभारों के प्रावधान तथा उपयोग को कवर किया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली ने रेलवे बोर्ड तथा क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालयों पर अभिलेखों की समीक्षा को कवर किया। निर्माण परियोजनाओं को करने के लिए आवश्यक डीएंडजी प्रभारों के निर्धारण से सम्बंधित नियामों तथा नीति परिपत्रो का अध्ययन लेखापरीक्षा में किया गया था। कार्य प्रभारित पदों के सृजन/विस्तार के लिए क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किए गए निर्धारण से सम्बंधित अभिलेखों की भी लेखापरीक्षा में जांच की गई थी। डीएंडजी प्रभारों के रूप में व्यय के आवंटन सहित कार्य के वाउचर/जर्नल वाउचर[144] तथा सम्बंधित अभिलेखों को भी लेखापरीक्षा में देखा गया था। मेट्रो रेल/कोलकाता सहित सभी क्षेत्रीय रेलवे में जुलाई 2014 से नवम्बर 2014 के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी। रेलवे बोर्ड के मॉनीटरिंग कार्य को दिसम्बर 2014 में लेखापरीक्षा में देखा गया। केन्द्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन (कोर) को लेखापरीक्षा में कवर नहीं किया गया क्योंकि निर्माण संगठन द्वारा किए कार्यो का अध्ययन प्रतिबंधित था।

## 3.5 नमूना आकार

भारतीय रेल की निर्माण संरचनाओं में 358 नई लाइनों, दोहरीकरण तथा गैज परिवर्तन कार्य प्रगति पर थे तथा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 60 कार्य पूरे हुए थे। उक्त कार्यो के अलावा, ब्रिज कार्य, ट्रैक सुविधा, संकेतक तथा दूरसंचार कार्य आदि जैसे अन्य कार्यों को भी भारतीय रेल के निर्माण संगठन द्वारा लिया गया था। ऐसे 2241 कार्य प्रगति पर थे तथा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान

---

[144] जर्नल वाउचर- एक लेखाकरण वर्गीकरण से अन्य लेखाकरण वर्गीकरण में राशि का हस्तांतरण तथा क्रम संख्या, लेन-देन तिथि तथा राशि, लेन-देन का संक्षिप्त विवरण तथा प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ताओं के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज है।

ऐसे 488 कार्य पूरे हुए थे। विस्तृत जांच हेतु, प्रत्येक क्षेत्रीय संरचना के लिए पृथक रूप से निर्धारित निम्नलिखित नमूना आकार अपनाए गए थे:

सभी क्षेत्रीय रेलवे में कुल 269 चालू कार्यों तथा 67 पूर्ण कार्यों (कुल 336 कार्य) को लेखापरीक्षा हेतु अनुसूची ''5.0'' में दिए अनुसार चयनित किया गया था। रेल प्रशासन ने लेखापरीक्षा को 226 चालू कार्यों तथा 54 पूर्ण कार्यों (कुल 280 कार्यों) के संदर्भ में आवश्यक सूचना/अभिलेख प्रदान किए। शेष 56 कार्यों के लिए सूचना /अभिलेख नीचे पैरा 5.1 में टिप्पणी किए अनुसार लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

## 3.6 कार्यक्षेत्र सीमा

अनुसूची ''5.1'' में विस्तार दिए अनुसार क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा सूचना/अभिलेखों की अनुपलब्धता /अनुरक्षण न होने के कारण लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र को सीमित किया गया था। कार्यक्षेत्र को 17 क्षेत्रीय रेलवे में से 15 में रेल प्रशासन को बताए गए लेखापरीक्षा अवलोकन पर प्रतिक्रिया न करने के कारण भी सीमित किया गया था। केवल द पू र म रे तथा उ म रे द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई थी।

इसके अलावा प्रयासो के बावजूद क्षेत्रीय रेलवे की ओर से जवाबदेही न होने के कारण 17 रेलवे में से दो[145] रेलवे में एक्जिट कान्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया था।

रेलवे बोर्ड को 10 फरवरी 2015 को समीक्षा दी गई । रेलवे बोर्ड की प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है। 16 अप्रैल 2015 को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक एक्जिट कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया था।

## 3.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 3.7.1 निर्माण परियोजनाओ को करने के लिए आवश्यक डीएंडजी प्रभारों के निर्धारण हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली

क्षेत्रीय रेलवे को कार्य आकलन करते समय लागू रेलवे बोर्ड परिपत्रों द्वारा निर्धारित अनुसार कर्मचारी तथा गैर-कर्मचारी लागतो के लिए डीएंडजी प्रभार प्रदान करना आवश्यक है। कार्य प्रभारित पदों को कार्य आकलनों में किए प्रावधानों के प्रति कार्यों को करने के लिए बनाया तथा परिचालित किया जाता है। रेलवे बोर्ड ने कार्य

[145] पू म रे तथा पू त रे

प्रभारित पदों को कार्य भार के साथ जोडकर इसकी संख्या का निर्धारण करने के लिए दिशा निर्देशो को वर्णन किया है **(परिशिष्ट I)** तथा कार्य में डीएंडजी प्रभारों की उपलब्धता को जारी रखा है **(परिशिष्ट II)** । पदों को उक्त मापदण्डो के आधार पर वर्ष वार मंजूर किया जाता है। इसमें कार्य प्रभारित पदों की लागत का निर्धारण भी सम्मिलित है। हालांकि, पदों की लागत को पैरा 3.7.1.1 में चर्चा के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे द्वारा भिन्न रूप से निर्धारित करना पाया गया था। विभिन्न स्केलों के बीच पदों की संख्या का परिचालन भी रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों के साथ भिन्न पाया यगा था जिसके परिणामस्वरूप पैरा 3.7.1.2 में की गई चर्चा के रूप में कनिष्ठ स्केल संवर्ग के स्थान पर वरिष्ठ स्केल के पदों का अधिक परिचालन हुआ।

### 3.7.1.1 कार्य प्रभारी पदों के निर्माण के लिए कर्मचारी की लागत के आकलन में असंगति

वित्त विभाग (एफ-I) हेतु भारतीय रेलवे संहिता का पैराग्राफ 776 अनुबंधित करता है कि स्थायी खुली लाइन के कर्मचारी के वेतन तथा भत्तों का कोई भी भाग पूंजीगत, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि या दुर्घटना मुआवजा, सुरक्षा तथा यात्री सुविधा निधि या खुली लाइन कार्य राजस्व जैसा भी मामला हो, को प्रभारित नहीं किया जाएगा, तब ऐसे कर्मचारी को विशेष कार्य पर नियोजित किया जाता है तथा इस प्रकार खुली लाइन संवर्ग में हुई रिक्तियां खाली रहती है। विशेष रूप से खरीदे गए उपकरणो तथा संयंत्रो की लागत (कम प्रतिदाय मूल्य) तथा मुख्य रूप से पूंजीगत या मूल्यह्रास आरक्षित निधि या विकास निधि या दुर्घटना मुआवजा, सुरक्षा तथा यात्री सुविधा निधि या खुली लाइन कार्य राजस्व के लिए विशुद्ध रूप से प्रभार्य कार्य के पर्यवेक्षण या निर्माण के लिए निर्मित किसी पद की लागत को पूंजीगत, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि या दुर्घटना मुआवजा, सुरक्षा तथा यात्री सुविधा निधि या खुली लाइन कार्य राजस्व जैसा भी मामला हो, में जमा किया जाता है। इस नियम के प्रयोजन हेतु एक पद की लागत में अवकाश वेतन तथा पैसेज , पेंशन, भविष्य निधि, बोनस के प्रति योगदान तथा भविष्य निधि में वह विशेष योगदान सम्मिलित है जो पदधारक का हक हो सकता है। इस प्रकार, एक कार्य (कार्य प्रभरीपद)के लिए प्रभार्य पद की लागत को प्रोदभवन सिद्धान्तो पर निर्धारित किया जाना है।

इसके अलावा, पेंशन देयता का मापन भारतीय रेलवे वित्तीय संहिता खण्ड-I (एफ-I) के पैराग्राफ 339 के अनुसार बीमांकिक आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

कार्य प्रभारी पद की लागत में औसत वेतन (वेतन) वेतन ग्रेड (जीपी) महंगाई भत्ता (डीए) मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीपीए) अवकाश वेतन योगदान (एलएससी), पैसेज के लिए योगदान (टीए), बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित पेंशन (पेंशन तथा एनपीएस) तथा भविष्य निधि योगदानों के कारण कोई व्यवहार्य योगदान सम्मिलित होना चाहिए। अराजपत्रित कार्य प्रभारी पदों की लागत के मामले में बोनस के तत्व भी लागू है।

यह देखा गया कि विभिन्न रेलवे संरचनाएं कार्य प्रभारी पदों की लागत का भिन्न रूप में निर्धारण कर रही थी। क्षेत्रीय रेलवे में कार्य प्रभारी पदों की लागत के निर्धारण में देखी गई भिन्नता निम्नानुसार थी:-

- उ प रे में, राजपत्रित पदों की लागत का निर्धारण करते समय एचआरए तथा टीपीए के तत्वों को सम्मिलित किया गया था परन्तु इन्हें अराजपत्रित पदों की लागत का निर्धारण करने में छोड़ दिया गया। इसके अलावा, बोनस, एलएससी, टीए, पेंशन तथा एनपीएस के व्यवहार्य तत्व को कार्य प्रभारी कर्मचारी की निर्धारित लागत में सम्मिलित किया जा रहा था।
- पू त रे मेट्रो रेल/कोलकाता, द पू म रे, द प रे तथा प रे में, कार्य प्रभारी पदों की निर्धारित लागत में एचआरए, टीपीए, बोनस, एनएससी, टीए, पेंशन तथा एनपीएस के तत्वों को सम्मिलित किया जा रहा था।
- उ म रे में, राजपत्रित कर्मचारियो के मामलो में, एचआरए, टीपीए तथा एनपीएस पर किसी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया है। राजपत्रित पदों के लिए पीएफ, डीसीआरजी तथा एलएससी को इंजीनियरिंग, एसएंडटी तथा लेखा विभाग द्वारा लिया गया है परन्तु विद्युत विभाग द्वारा नहीं लिया गया। राजपत्रित पदों के लिए एसएंडटी विभाग द्वारा टीए को नहीं लिया गया है। अरापत्रित कर्मचारियों के मामले में, पेंशन तथा टीए के तत्वों को इंजीनियरिंग विभाग में सम्मिलित नहीं किया गया है, एचआरए, टीपीए, बोनस, एलएससी तथा पेंशन को एसएंडटी विभाग में सम्मिलत नहीं किया गया है, एलएससी को विद्युत विभाग में सम्मिलित नहीं किया गया है, पेंशन तथा एनपीएस को पदों की लागत के निर्धारण हेतु किसी विभाग में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- *म रे,* उ रे, द म रे, द पू रे तथा प म रे में, बोनस, टीए, एलएससी, पेंशन तथा एनपीएस के तत्व को कार्य प्रभारी पदों की निधारित लागत में सम्मलित नहीं किया जा रहा है।

- पूमरे में, बोनस,टीए तथा एनपीएस के तत्वो को कार्य प्रभारी पदों की निर्धारित लागत में सम्मलित नहीं किया गया। एलएससी तथा पेंशन योगदान को कुल बेसिक ग्रेड पे 14.65 प्रतिशत पर आकलित किया गया था। इसे विवरण पीएफ, डीसीआरजी आदि के तहत सम्मिलित किया गया था।
- उसरे में, एचआरए , टीपीए, बोनस,टीए तथा एनपीएस के तत्व को कार्य प्रभारी कर्मचारियों की निर्धारित लागत में सम्मलित नहीं किया गया था। एलएससी को मूल वेतन तथा डीए के जोड़ का 11 प्रतिशत पर आकलित किया गया था। पेंशन योगदान को मूल वेतन के 10 प्रतिशत पर आकलित किया गया था।
- पूरे तथा दरे में, एलएससी, पेंशन तथा एनपीएस के तत्व को कार्य प्रभारी पदों की निर्धारित लागत में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- उपूरे में, एनपीएस के तत्व को कार्य प्रभारी पदों की निर्धारित लागत में सम्मिलित नहीं किया गया है। एलएससी को मूल वेतन तथा डीए के जोड़ की 11 प्रतिशत पर आकलित किया गया था। पेंशन योगदान को मूल वेतन जमा डीए के 12.5 प्रतिशत पर आकलित किया गया था।
- पूमर, उपूरे तथा उसरे में, पेंशन योगदान तथा एलएससी के तत्व को कार्य प्रभारी पदों की लागत का निर्धारण करते समय विभिन्न दरों पर लिया गया था। हालांकि, प्रोदभूत सिद्धान्तों पर ये व्यय कार्य प्रभारी पदों के व्यय में परिलक्षित नहीं किए गए थे।
- विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे संरचना में एक कार्य प्रभारी प के निर्धारण में सम्मिलित तत्व समान रूप से अनुसरित होने के लिए आवश्यक रेलवे बोर्ड के निर्देशो के बावजूद स्थानीय पद्धतियों की व्यापकता को दर्शाते है। राजपत्रित पदों तथा अराजपत्रित पदों के बीच उपरे तथा उमरे में भिन्नता के साथ-साथ विभिन्न विभागों के बीच भिन्न्ता सहयोगी फाइनेंस की प्रभावकारिता के अभाव को दर्शाती है क्योंकि प्रस्तावों की भी सहयोगी फाइनेंस द्वारा जांच की गई है। विभिन्न वर्णित अंशो के समावेश के बिना कार्य प्रभारी पद की लागत का निर्धारण करने में वित्तीय संवीक्षा में कमी का संकेत मिलता है। क्षेत्रीय रेलवे जहां एलएससी तथा पेंशन योगदान जैसे प्रोदभूत नामो के तत्वो को पद की लागत के निर्धारण में सम्मिलित किया गया था, में भी लेखों में इन तत्वों के लिए कोई पत्राचार व्यय परिलक्षित नहीं हुआ।

समीक्षा के परिणाम निम्नानुसार है -

- इसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2013-14 के दौरान सृजित /परिचालित राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों के लिए ₹ 1327.59 करोड़ तक कार्य प्रभारी पदों की लागत का कम निर्धारण हुआ। निम्नलिखित मापक मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा पदों की लागत को निर्धारित किया गया है।

- अवकाश वेतन तथा पेंशन देयता के मूल्यांकन को विदेश सेवा के दौरान योगदान के लिए लागू के रूप में अवकाश वेतन[146] तथा पेंशन योगदान[147] के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किया गया है। हालांक, पेंशन देयता को बीमांकिक आधार पर निर्धारित किया जाना है जो विदेश सेवा के दौरान योगदान के लिए लागू से काफी अधिक होगी। इस बीमांकिक मूल्यांकन को रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि रेलवे प्रशासन को इसे बीमांकिक आधार पर तय करना चाहिए। इस मामले को लेखापरीक्षा की 2013 की प्रतिवेदन संख्या 12 (2011-12 हेतु) (रेलवे) के पैरा 3.3.4.2 के तहत दर्शाया गया था। उत्तर में रेलवे बोर्ड ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया, ऐक्शन टेकन नोट देखें।

- बोनस को वास्तविक भुगतान के आधार पर निकाला गया है।

कम निर्धारित लागतो का विवरण नीचे दिया गया है:

- वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 9139 राजपत्रित पदों की लागत के कम निर्धारण को नीचे वर्णित अनुसार ₹ 227.83 करोड़ तक निर्धारित किया गया था -

**तालिका 3.1**

| वर्ष | पदों की संख्या | कुल कम निर्धारित लागत (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 2011-12 | 3181 | 74.00 |
| 2012-13 | 3096 | 79.04 |

[146] भारतीय रेलवे स्थापना संहिता खण्ड II के पैरा 2007 में किए प्रावधान के अनुसार राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 15% पर तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 12% पर अवकाश वेतन योगदान लिया गया है।

[147] भारतीय रेलवे स्थापना संहिता खण्ड II के पैरा 2007 में किए प्रावधानों के एक औसत आधार पर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 15% पर तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 12% पर पेंशन योगदान लिया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| 2013-14 | 2862 | 74.78 |
| कुल | 9139 | 227.83 |

➢ इसी प्रकार वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 63579 अराजपत्रित पदों की लागतके कम निर्धारण को नीचे वर्णित अनुसार ₹ 1099.77 करोड़ तक निर्धारित किया गया था:

**तालिका 3.2**

| वर्ष | पदों की संख्या | कुल कम निर्धारित लागत (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 2011-12 | 22574 | 375.09 |
| 2012-13 | 21298 | 368.46 |
| 2013-14 | 19707 | 356.22 |
| कुल | **63579** | **1099.77** |

➢ पद की निर्धारित लागत का माप उन पदों की संख्या निश्चित करता है जिन्हें किए जाने वाले कार्यों के उपलब्ध डीएंडजी प्रभारों से वर्ष के अन्दर परिचालित किया जा सकता है। पदों की लागत के माप में अनिवार्य अंशो को छोड़कर नीचले स्तर पर लागत के निर्धारण करने के कारण पदों का अधिक परिचालन हुआ। अतः पदों के व्यय को इस कम निर्धारण के परिणामस्वरूप स्थापना उद्देश्य हेतु उपलब्ध डीएंडजी प्रभारों के प्रति पदों का अधिक परिचालन हुआ।

➢ गलत माप के कारण अधिक पदों के परिचालन के कारण कार्य के क्रियान्वयन हेतु निधियों की अनुपलब्धता तथा /अथवा कार्य के कार्यक्षेत्र में विलम्ब/पूर्ण न होने/कमी जैसे संभावित परिणामों के साथ परिहार्य व्यय हुआ। इस पहलू को भी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) को उसके दिनांक 26 मार्च 2014 के पत्र के माध्यम से बताया गया था।

➢ रेल लेखे वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर आधारित है। वाणिज्यिक सिद्धान्तों में, लेखाकरण को प्रोदभूत आधार पर किया जाता है तथा लेखाकरण नीतियो में मापन सिद्धांत बताए जाते है। व्ययों जो पूर्णरूप से एक पद के परिचालन से जुडे हुए है को छोडते हुिए लागू निर्देशों के तहत स्वीकार्य से अधिक पदों के परिचालन से पूंजीगत व्यय को कम तथा राजस्व व्यय को अधिक बताया गया क्योंकि शेष व्ययों का वास्तव में अधिकारियों की सेवानिवृति के समय खुली लाइन द्वारा भुगतान किया जाता है।

एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान वित्तीय सलाहकार एवं प्रमुख लेखा अधिकारी (एफए एंड सीएओ) दपूरे ने कहा कि रेलवे बोर्ड का एक पत्र है कि डीएंडजी प्रभारों के लिए पेंशन के लाभों को लेना आवश्यक नहीं है। हालांकि इसे लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि रेलवे बोर्ड का ऐसा निर्देश एफ-। के पैरा 776 के प्रावधानों के विपरीत होगा तथा भारतीय रेलवे अर्थात इसकी प्रोदभूत विशेषता के लिए वर्णित लेखाकरण की मूल विशेषताओं पर प्रभाव डालेगा।

पूतरे से प्राप्त उत्तर में, रेल प्रशासन ने कहा है कि पैरा 776/एफ-। के प्रावधान केवल विशेष पदों के लिए व्यवहार्य है परन्तु समान्य निर्माण कार्य प्रभारी पदों के लिए नहीं तथा कार्य प्रभारी पदों को स्थायी कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। ये टिप्पणियां तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्माण संगठन द्वारा क्रियान्वित कार्यों के लिए निर्मित पदों को मुख्य रूप से कार्य के पर्यवेक्षण या निर्माण के लिए बनाया जाता है तथा एफ । के पैरा 776 के तहत कवर किया जाता है। निर्माण संगठन के लिए स्वीकृत कोई अस्थायी या स्थायी पद नहीं है

उत्तर मध्य रेल प्रशासन ने अपने उत्तर में कहा कि वे स्टाफ ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन, मकान किराया भत्ते तथा परिवहन भत्ते के तत्वों पर ध्यान दे रहे है। हालांकि बोनस तथा पेंशन योगदान की लागत पर पदों की लागत का निर्धारण करते समय विचार नहीं किया गया। भविष्य में लेखापरीक्षा द्वारा परामर्शित रूप में सभी अतिरिक्त लागत पर अनिवार्य नीति दिशा –निर्देशो से जुडने के पश्चात कार्य प्रभारी पदों की लागत के निर्धारण के दौरान विचार किया जाएगा।

अत: भारतीय रेल (आईआर) प्रशासन पैराग्राफ 776 एफ-1 में परिकल्पित रूप में कार्य प्रभारी पद की लागत का आकलन करना चाहिए तथा परिचालित/सृजित किए जा रहे पदों से जुडी लागत का उचित रूप से निर्धारण करना चाहिए।

### 3.7.1.2 वरिष्ठ स्केल तथा कनिष्ठ स्केल संवर्ग में पदों के परिचालन में अनुपातन रखना

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्माण संगठ्न में कार्य प्रभारी पदों के सृजन हेतु मादण्डों के अनुसार, सिविल, विद्युत, संकेत एवं दूरसंचार विभागों के मामले में, वरिष्ठ स्केल (एसएस) तथा कनिष्ठ स्केल (जेएस) पदों का अनुपात 1:2 होना चाहिए जिसे महाप्रबंधक के विवेक पर 1.1 तक कम किया जा सकता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट के मामले में एसएस का जेएस पदों के प्रति अनुपात 1:2 होगा।

कनिष्ठ स्केल से वरिष्ठ स्केल पद में पदों न्नति गैर-कार्यत्मक है तथा वरिष्ठ स्केल का वेतन कनिष्ठ स्केल से अधिक है। महाप्रबंधक सिविल, विद्युत तथा एसएंडटी विभागों में कनिष्ठ स्केल के स्थान पर वरिष्ठ स्केल में परिचालित होने वाले पदों की संख्या को बढाने के लिए अधिकृत है क्योंकि कनिष्ठ स्केल के स्थान पर वरिष्ठ स्केल में पदों के किसी परिचालन में अधिक व्यय सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि भारतीय रेल के सभी क्षेत्रों में एसएस संवर्ग में वास्तव में परिचालित पदों की संख्या निर्धारित अनुपात से अधिक थी। किसी भी रेलवे में 1:2 से 1:1 तक अनुपात को कम करने के लिए महाप्रबंधक की कोई राहत नहीं पाई गई। जैसेकि एसएस तथा जेएस के पद के अनुपात को कम करने के लिए महाप्रबंधक से विशिष्ट मंजूरी प्राप्त किए बिना, एसएस सवंर्ग में अधिक पदों के परिचालन के परिणमस्वरूप ₹ 70.12 करोड़ अनधिकृत अधिक व्यय हुआ। इसमें 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: ₹ 15.08 करोड़, ₹ 18.67 करोड़ तथा ₹ 36.37 करोड़ का अधिक व्यय सम्मिलित था।

- एसएस/जेएस संवर्ग में 4786 पदों को परिचालित किया गया था। एसएस संवर्ग में 2481 पदों को तथा जेएस संवर्ग में 2305 पदों की परिचालित किया गया था। इस प्रकार, एसएस संवर्ग में 835 पदों को स्वीकार्य अनुपात से अधिक परिचालित किया गया था।
- इसमें एसएस संवर्ग में 172 पद सम्मिलित थे जिन्हें महाप्रबंधक की स्वीकार्य शक्तियों से अधिक परिचालित किया गया था।
- एसएस संवर्ग में पदों के अधिक परिचालन की स्थिति निम्नानुसार है:-

**तालिका 3.3**

| वर्ष | संवर्ग में परिचालित पदों की कुल संख्या | | | एसएस संवर्ग में परिचालित कुल अधिक पद | जीएम की शक्तियों से अधिक परिचालित एसएस संवर्ग में पदों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| | एसएस | जेएस | कुल | | |
| 2011-12 | 870 | 812 | 1682 | 291 | 56 |
| 2012-13 | 831 | 778 | 1609 | 279 | 63 |
| 2013-14 | 780 | 715 | 1495 | 265 | 53 |
| कुल | 2481 | 2305 | 4786 | 835 | 172 |

- इसके कारण स्थापना पर निर्धारित से अधिक व्यय हुआ।

**3.7.2 अनुबंधित प्रावधानों के अनुसार डीएंडजी प्रभारों का संवितरण तथा इसका कुशलता, मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता से उपयोग**

रेलवे बोर्ड ने कम से कम वर्ष 2000 से उन अधिकतम प्रावधानों को वर्णित किया है जिन्हें एक आकलन के अन्दर डीएंडजी प्रभारों के लिए बनाया जा सकता है। इन डीएंडजी प्रभारों की सीमा को सिविल इंजीनियरिंग विद्युत इंजीनियरिंग, संकेत तथा दूरसंचार, लेखापरीक्षा एवं लेखे, स्टोर्स, यातायात, कार्मिक, चिकित्सा, सतर्कता तथा आरपीएफ (मार्च 2008 से) विभागों के लिए निधारित किया गया है परन्तु एक वर्षमें बजटीय परिव्यय पर आधारित राजपत्रित पदों के निर्माण हेतु मानदण्डों को भी रेलवे बोर्ड द्वारा केवल सिविल इंजीनियरिंग, संकेतक तथा दूरसंचार, विद्युत, लेखा, स्टोर्स विभागों के लिए निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार यह देखा जाता है कि राजपत्रित पदों के परिचालन के लिए यातायात, कार्मिक, आरपीएफ, परिचालन तथा वाणिज्यिक, तकनीकी, चिकित्सा, सामान्य प्रशासन तथा सतर्कता विभागों हेतु किसी मानदण्ड का निर्धारण नहीं किया गया है।

डीएंडजी प्रभारों के संवितरण तथा उपयोग के लिए मानदण्डों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए है:

**3.7.2.1 कार्मिक, आरपीएफ, तकनीकी, चिकित्सा, सतर्कता, यातायात, परिचालन तथा वाणिज्यिक विभागों में पदों के परिचालन के लिए मानदण्डो/यार्डस्टिको का निर्धारण न होना**

2008-09 के लिए मानदण्डो की स्वीकृति की प्रक्रिया करते समय, रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय ने यह अभिलाषा की थी कि पदों के निर्माण के लिए आधार को सम्पूर्ण विभागों में समान रूप से वर्णित किया जाएं तथा इसने रेलवे बोर्ड के कुशलता तथा अनुसंधान (ईएंडआर) निदेशालय द्वारा उन विभागों के लिए मानदण्डों का पता लगाने पर दबाव डाला जिनके पास वर्तमान में मानदण्ड नहीं है अर्थात यातायात, कार्मिक, आरपीएफ आदि । जबकि मई 2008 में मानदण्डों की संगणना करते समय रेलवे बोर्ड के ईएंडआर निदेशालय ने इस बात की पुष्टि की कि यातायात, कार्मिक, आपीएफ आदि जैसे अन्य विभागों के लिए मानदण्डों का विकास किया जा रहा था तथा इसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन मानदण्डो को छः वर्षों से अधिक अवधि के पश्चात भी जनवरी 2015 तक निर्धारित नहीं किया गया है। आगामी वर्षों में

संबंधित निदेशालयों द्वारा इसे नहीं पूछा गया है। एसएजी, जेएजी, एसएस तथा जेएस के संवर्ग में समान्य प्रशासन, हिन्दी/कानून, तकनीकी, चिकित्सा, परिचालन एवं वाणिज्यिक, कार्मिक, आरपीएफ, खेल, यातायात तथा सतर्कता नाम के विभागों में 1023 पदों को मानदण्डों के अभाव में तथा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान उचित स्पष्टीकरण के बिना भारतीय रेल (उमरे को छोड़कर) में सृजित किया गया था जो निम्नानुसार है:

**तालिका 3.4**

| वर्ष /पद का नाम | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल पद | पदों की कुल लागत (₹ करोड़ में) | कुल पद | पदों की कुल लागत (₹ करोड़ में) | कुल पद | पदों की कुल लागत (₹ करोड़ में) | कुल पद | पदों की कुल लागत (₹ करोड़ में) |
| एसएजी | 23 | 3.44 | 24 | 3.73 | 21 | 3.55 | 68 | 10.72 |
| जेएजी | 148 | 13.98 | 146 | 14.79 | 159 | 17.29 | 453 | 46.06 |
| एसएस | 116 | 9.87 | 124 | 11.42 | 121 | 12.05 | 361 | 33.33 |
| जेएस | 44 | 3.44 | 45 | 3.80 | 52 | 4.69 | 141 | 11.93 |
| कुल | 331 | 30.73 | 339 | 33.74 | 353 | 37.58 | 1023 | 102.04 |

अनुबंधित मानदण्डों के बिना भारतीय रेल में परिचालित इन पदों के विभाग वार ब्यौरें

उमरे के संदर्भ में आवश्यक ब्यौरे (परिचालित पदों की संख्या के साथ पदों का विभाग तथा नाम) लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस संदर्भ में निम्नलिखित अवलोकन किए गए है :-

- उपर वर्णित विभिन्न विभागों में इन पदों से जुडे कार्य के अधिकार क्षेत्र तथा प्रकृति खुली लाइन संगठन से सम्बंधित है। इनका निर्माण संगठन की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। कार्मिक शाखा द्वारा जारी संस्वीकृति के ज्ञापन में भी कार्य आकलनों का कोई वर्णन नहीं था इन पदों की लागत को बुक किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया था।
- स्वीकृति आदेशों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कॉलम 'प्रभारित होने वाला कार्य' में केवल 'डीएंडजी निर्माण' की एक प्रविष्टि को उस एक विशिष्ट कार्य (जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा निधियां प्रदान की गई थी) के नाम का वर्णन किए बिना किया जाता है जिसके लिए इन पदों की लागत आवंटित की जाएगी। इस प्रकार, इन पदों को केवल परिचालित किया गया था क्योंकि

खुली लाइन/मण्डलों जहां केवल रखरखाव कार्य किया गया है, में इन पदों विभिन्न कार्य आकलनों तथा परिचालन में मौजूद प्रावधान 'वर्थ ऑफ चार्ज'[148] नहीं थे। अत: इन पदों का परिचालन अनुचित था तथा इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत शीर्षों के तहत निर्माण कार्यों को ₹ 102.04 करोड़ के राजस्व व्यय की बुकिंग हुई।

- इन पदों के सृजन हेतु औचित्य रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था।
- इसके कारण कार्यों के लिए निधि उपलब्धता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला निरर्थक परिहार्य व्यय हुआ। इसने आगे महत्वपूर्ण कार्यों अर्थात नवीकरण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, विस्तार आदि को करना स्थगित हुआ क्योंकि दुर्लभ स्रोतो को संबंधित कार्य से संबंधित न होने वाली गतिविधियों में प्रयुक्त किया जाता है।

किसी मानदण्ड के बिना इन विभागों में कार्य प्रभारी पदों के परिचालन से अवसरंचनात्मक व्यय करना का अधिक जोखिम हुआ क्योंकि ये पद निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित नहीं है। सुरक्षा विभाग में पदों के सृजन से संबंधित विस्तृत विश्लेषण पैरा 3.7.2.2 के तहत परिलक्षित होता है।

### 3.7.2.2 निर्माण संगठन में सुरक्षा विभाग (आरपीएफ) के पदों का अनुचित परिचालन

रेलवे बोर्ड ने मार्च 2008 में यह निर्णय लिया कि डीएंडजी प्रभारों के प्रावधान को ऐसे प्रमुख सिविल इंजीनियरिंग तथा रेलवे विद्युतीकरण कार्यो अर्थात नई लाइने, गैज परिवर्तन, दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण कार्यो में आरपीएफ के लिए बनाया जाना चाहिए जहां महाप्रबंधक यह प्रमाणित करता है कि कार्यो को विरोधी तथा प्रतिकूल परिस्थिति में किया जा रहा है। ऐसे मामलो में आरपीएफ पदों का सृजन वर्थ ऑफ चार्ज आधार पर होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का अवलोकन किया गया:

[148] इन सभी पदों को निर्माण संगठन (पूंजीगत कार्यों) के बजाय खुली लाइन/मण्डलों (जहां केवल रखरखाव कार्य किया जाता है) में परिचालित किया गया था।

### उत्तर पश्चिमी रेलवे

अक्तूबर 2008 में रेलवे बोर्ड को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के तहत निर्माण संगठन के सुरक्षा विभाग में महानिरीक्षक सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त (आईजी सह सीएससी) के एक एसए ग्रेड कार्य प्रभारी पद के सृजन हेतु एक प्रस्ताव भेजा गया था। इसे बोर्ड द्वारा एक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पद का एसएजी में उन्नयन करके फरवरी 2009 में स्वीकृत किया गया। तब से यह पद परिचालित है तथा इसकी मुद्रा को रेलवे बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष नवीकृत किया जा रहा है।

पद को इस तथ्य के आधार पर उचित बताया गया कि यह जोन अधिक सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र में है तथा कार्यो का क्रियान्वयन विरोधी तथा प्रतिकूल वासतावरण में है। इसी प्रकार, महानिरीक्षक सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त निर्माण(आईजी सह सीएससी निर्माण) के इस पदों न्नित पद के साथ कार्य करने हेतु, निर्माण स्थलो पर तैनात करने के लिए इंस्पेक्टर सुरक्षा दल (आईपीएफ) के एक पद, 13 कांस्टेबल तथा चार सहायक कर्मचारियों वाले एक कम्पनी के सृतन हेतु एक प्रस्ताव को जुलाई 2008 में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव की ₹ 18.56 लाख की लागत के एक आईपीएफ पद तथा 11 कांस्टेबल के पदों के लिए क्षेत्र पर सहयोगी फाइनेंस द्वारा जांच की गई तथा इसे महाप्रबंधक उपरे द्वारा स्वीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया(फरवरी2014) कि 04.03.2009 से 30.06.2009 तक एक इंस्पेक्टर तथा 11 कांस्टेबलों वाली डीएंडजी निधियों के साथ सृजित इस कम्पनी को न तो परिचालित किया गय न ही आगे विस्तारित किया गया। इस प्रकार, महाप्रबंधक की स्वीकृति आवश्यकता आधारित नहीं थी।

इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि इन पदों को निर्माण संगठन से किसी विशेष आवश्यकता/मांग के बिना परन्तु सुरक्षा विभाग के लिए एसएजी स्केल में एक पद के निर्माण हेतु सृजित किया गया था। आईजी सह सीएससी (निर्माण) उपरे का पदों न्नित पद किसी कम्पनी के बिना परिचालित होना जारी रहा तथा इसलिए प्रभार आधार की मान्यता नहीं थी। इस पद के लिए निर्धारित लागत निम्नानुसार थी:

**तालिका 3.5** (राशि ₹ में)

| वर्ष | एसएजी पद की प्रति माह निर्धारित लागत | वर्ष हेतु कुल लागत |
|---|---|---|
| 2011-12 | 147120 | 1765440 |
| 2012-13 | 158115 | 1897380 |
| 2013-14 | 169894 | 2038728 |
| कुल | | 5701548 |

इस प्रकार, यह भी देखा गया कि खुली लाइन में परिचालित डिविजनल सुरक्षा आयुक्त के चार वरिष्ठ स्केल पदों तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त के एक पद को निर्माण संगठन उ प रे की डीएंडजी प्रभारों के लिए एक स्केल अधिक प्रभार्य में पदों न्नति की गई। इन पदों न्नति किए गए पदों की निर्धारित लागत निम्नानुसार थी :

**तालिका 3.6** (राशि ₹ में)

| वर्ष | एसएस पद की प्रति माह निर्धारित लागत | जेएस पद की प्रतिमाह निर्धारित लागत | पद की प्रति माह लागत की भिन्नता | | पद की प्रतिवर्ष लागत की भिन्नता | | पदों की संख्या | | कुल लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | जेएजी एवं एसएस | एसएस एवं जेएस | जेएजी एवं एसएस | एसएस एवं जेएस | जेएजी | एसएस | |
| 2011-12 | 80932 | 66995 | 2611 | 13937 | 31332 | 167244 | 4 | 1 | 292572 |
| 2012-13 | 86846 | 72387 | 2772 | 14459 | 33264 | 173508 | 4 | 1 | 306564 |
| 2013-14 | 93182 | 77077 | 2945 | 16105 | 35340 | 193260 | 4 | 1 | 334620 |
| | | | | | | कुल | | | 933756 |

उपरोक्त पदों के अतिरिक्त अराजपत्रित संवर्ग के दो पद अर्थात एक इंस्पेक्टर सुरक्षा दल तथा एक निजी सचिव –।। को भी स्वीकृत किया गया तथा 2011-12 से 2013-14 की समयावधि के दौरान पूंजीगत कार्यो के डीएंडजी प्रभारों के लिए प्रभार्य आरपीएफ विभाग में परिचालित किया गया। इन पदों की निर्धारित लागत निम्नानुसार थी:-

**तालिका 3.7** (राशि ₹ में)

| वर्ष | आईपीएफ के पद की प्रति माह निर्धारित लागत | पीएस-।। के पद की प्रति माह निर्धारित लागत | आईपीएफ के पद की प्रतिवर्ष निर्धारित लागत | पीएस-।। के पद की प्रति वर्ष निर्धारित लागत | आईपीएफ एवं पीएस -।। के पदों की कुल लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 61545 | 61545 | 738540 | 738540 | 1477080 |
| 2012-13 | 66097 | 66097 | 793164 | 793164 | 1586328 |
| 2013-14 | 69878 | 69878 | 838536 | 838536 | 1677072 |
| | | | | कुल | 4740480 |

इस प्रकार वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान आपीएफ विभाग में राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की निर्धारित लागत निम्नानुसार थी:-

**तालिका 3.8** (राशि ₹ में)

| वर्ष | राजपत्रित पद की लागत | अराजपत्रित पदों की लागत | कुल लागत |
|---|---|---|---|
| 2011-12 | 2058012 | 1477080 | 3535092 |
| 2012-13 | 2203944 | 1586328 | 3790272 |
| 2013-14 | 2373348 | 1677072 | 4050420 |
| कुल | | | 11375784 |

इस संदर्भ में यह देखा गया कि मई 2013 में आईजी सह सीएससी (निर्माण) ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) उपरे को यह परामर्श दिया था कि निर्माण संगठन के डीएंडजी प्रभारों के प्रति खुली लाइन में पदों न्नति किए राजपत्रित पदों की निर्माण में कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इन पदों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

इसलिए, लेखापरीक्षा में यह देखा गया है कि निर्माण के डीएंडजी प्रभारों के प्रति उपरे के सुरक्षा विभाग में परिचालित पद तथा उन पर किया गया ₹ 1.14 करोड़ की राशि का व्यय (2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 0.35 करोड़, ₹ 0.38 करोड़ तथा ₹ 0.41 करोड़) प्रभार की मान्यता के बिना तथा रेलवे बोर्डके निर्देशो के विरोध में था।

**दक्षिण पूर्व रेलवे**

दपूरे में डीएंडजी प्रभारों के तहत दो राजपत्रित पदों (जेएजी) का सृजन किया गया है। पद अपने सृजन से परिचालन में है तथा इसकी मुद्रा का वार्षिक रूप में नवीकरण किया जा रहा है।

- उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त (जेएजी) जो वरिष्ठ उप सुरक्षा आयुक्त सह प्रधान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान /खड़गपुर (केजीपी ) के रूप में परिचालित है का पद 22 अप्रैल 2009 से परिचालित है।

- चक्रधरपुर (सीकेपी) पर वरिष्ठ उप सुरक्षा आयुक्त (वरि.डीएससी/सीकेपी) का पद 1 मई 2012 से परिचालित है। इसे निर्माण विभाग के तहत एसएंडटी के कार्य प्रभारी पद के पूल से परिचालित किया जा रहा है। वरिष्ठ डीएससी/आरपीएफ/सीकेपी के पद के वेतन का भुगतान एफएएंडसीएओ /गार्डन रीच रोड, कोलकाता से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात 1 दिसम्बर 2012से 30 जून 2013 तक की अवधि के लिए जीएम/दपूरे द्वारा अस्थायी रूप से मंजूर किया गया। इसे इस तथ्य के आधार पर उचित बताया गया कि डिविजन गंभीर कानून तथा व्यवस्था स्थिति का सामना करता है तथा पद की

झारखण्ड तथा ओडिशा के जिला अधिकारियों के साथ बेहतर तथा प्रभावी संपर्क बनाए रखने के लिए आवश्यकता थी।

इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि उन पदों को निर्माण संगठन से किसी विशिष्ट मांग के बिना सृजित किया गया तथा ये विषय पर रेलवे बोर्ड के निर्देशो के उल्लंघन में परिचालित हो रहे थे।

### 3.7.2.3 व्यय का गलत आवंटन

रेलवे बोर्ड के समय –समय पर जारी निर्देशो के अनुसार , कार्यो के क्रियान्वयन के दौरान क्षेत्र के साथ साथ मुख्यालयों में पर्यवेक्षण तथा निर्देश प्रदान करने के लिए आवश्यक राजपत्रित तथा अराजपत्रित स्टाफ की लागत तथा संयत्र निर्माण, इंस्ट्रूमेंट, कार्यालय खर्च, अस्थायी आवासीय स्थान, नकद तथा स्टोर्स की हानि, यातायात के लिए लाइन के खुलने से लम्बित परिचालन व्यय आदि जैसे अन्य व्यय को डीएंडजी प्रभारों के तहत प्रभारित किया जाना है । उपरोक्त के आलावा अन्य उद्देश्य हेतु किए गए व्यय को लेखों के उन संदर्भित शीर्षो जिसमें वे आते है, के तहत बुक किया जाना चाहिए।

भारतीय रेल के चयनित निर्माण कार्यो से सम्बंधित कार्य रिजिस्टरों, भुगतान किए गए बिलों जर्नल स्लिप/वाउचर तथा समायोजन ज्ञापनों की लेखापरीक्षा की संवीक्षा में देखे गए व्यय की बुकिंग में अनियमिताओं की नीचे चर्चा की गई है:

### (क) एक ही कार्य के अन्दर डीएंडजी प्रभारों के लिए व्यय के गैर-डीएंडजी घटक का गलत आवंटन

- संरचनागत इंजीनियरिंग कार्य (अर्थात फॉरमेशन, स्थाई मार्ग, ब्रिजों, स्टेशनों तथा बिल्डिंग), उपकरणों संयंत्र तथा मशीनरी आदि से संबंधित ₹ 82.80 करोड़ (वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: ₹ 1.86 करोड़, ₹ 78.59 करोड़ तथा ₹ 2.35 करोड़) का एक व्यय जिसे कार्य के गैर डीएंडजी घटक में बुक किया जाना था, को उ पू रे , उ स रे, उ प रे, द पू म रे, द प रे तथा प रे में डीएंडजी प्रभारों के तहत गलत तरीके से परिलक्षित किया गया था।

इस प्रकार अन्य उद्देश्यों हेतु किया गया व्यय तथा कार्य के अन्दर डीएंडजी शीर्षे को गलत तरीके से आंवटित व्यय के परिणामस्वरूप ₹ 82.80 करोड़ तक डीएंडजी प्रभारों को अधिक बताया गया है।

## (ख) एक ही कार्य के अन्दर गैर डीएंडजी घटक के लिए डीएंडजी प्रभारों का गलत आवंटन

- डीएंडजी प्रभारों से संबंधित ₹ 4.72 करोड़, ₹ 2.84 करोड तथा ₹ 4.62 करोड़ (कुल ₹ 12.18 करोड़ तक) की राशि को क्रमश: वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान म रे, पू रे, उपूरे, उसरे, उपरे, दपूमरे, तथा दपरे में लेखों (कार्य के अन्दर) के अन्य शीर्षों में गलत तरीके से बुक किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.18 करोड़ तक डीएंडजी प्रभारों को कम बताया गया जैसाकि नीचे वर्णित है:-

**तालिका 3.9** (₹ लाख में)

| लेखों के अन्य शीर्षों में डीएंडजी प्रभारों की गलत बुकिंग | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्रीय रेलवे | मरे | पूरे | उपूरे | उसरे | उपरे | दपूमरे | दपरे | कुल |
| स्थापना | 0 | 10.51 | 743.23 | 0 | 1.98 | 8.21 | 1.41 | 765.34 |
| स्थापना[149] के अलावा अन्य | 0.16 | 0 | 65.08 | 360.02 | 25.47 | 0.01 | 1.90 | 452.64 |
| कुल | 0.16 | 10.51 | 808.31 | 360.02 | 27.45 | 8.22 | 3.31 | 1217.98 |

## (ग) एक कार्य से दूसरे कार्य में डीएंडजी प्रभारों के स्थापना घटक का गलत समायोजन

- उपरे में, डीएंडजी प्रभारों के स्थापना घटक से संबंधित ₹ 1.66 करोड़ की राशि को जयपुर –सिकर –लोहारू गैज रूपान्तरण परियोजना(पी-1487-01) के लिए बुक किया गया था। इसे निर्माण इकाई /बीकानेर के तहत निम्नलिखित कार्यों के लिए अगस्त 2012 में जर्नल वाउचर (जेवी) संख्या सी/3 के द्वारा हस्तांतरित किया गया था :

**तालिका 3.10**

| क्रम संख्या | विवरण | राशि (₹) |
|---|---|---|
| (i) | आरई-यार्ड रिमांडलिंग वर्क (डीएफ- 31687-01) दिनांक 07.09.2012 की समायोजन ज्ञापन संख्या सीएसटीई/सी जेपी/9/03 देखें | 31,00,000 |
| (ii) | आरई-एचएसआर स्टे. 111(केप-1687-01) दिनांक 07.09.2012 की समायोजन ज्ञापन संख्या सीएसटीई/सी/जेपी/9 /03 देखें | 1,35,00,000 |

[149] विवरण फुट नोट 1 में देखें।

- वह अवधि जिसके लिए राशि को आरंभिक रूप से जेपी एसआईकेआर – एलएचयू परियोजना के लिए बुक किया गया था, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, वेतन बिल जिससे राशि संबंधित थी, का विवरण भी उपलब्ध नहीं है। उक्त दो कार्यों में किसी विशिष्ट कारण के बिना एक मुश्त राशि हस्तांतरित की गई थी।
- मेट्रो रेल में,वर्ष 2013-14 से पूर्व मेट्रो रेल से संबंधित डीएंडजी प्रभारों के सम्पूर्ण स्थापना घटक को दमदम-टोलीगंज (चरण I) टोलीगंज- नई गारीया (चरण II) परियोजना के लिए बुक किया गया था। इसे 2013-14 से बीमांबंदर के द्वारा नोआपरा-बरसात परियोजना के लिए बुक किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएंडजी प्रभारों के स्थापना घटक को केवल एक परियेजना के लिए बुक किया जा रहा था जबकि पांच परियोजनाएं मेट्रो रेल द्वारा की जार रही थी। मेट्रो रेल प्रशासन ने कहा कि एक परियोजना की बुकिंग निधियों की अपर्याप्तता के कारण थी।

इस प्रकार यह देखा गया कि डीएंडजी प्रभारों की बुकिंग पारदर्शी तरीके से नहीं की जा रही है।

**(घ) दूसरे कार्य के डीएंडजी प्रभारों के स्थापना घटक के अलावा अन्य हेतु डीएंडजी प्रभारों के स्थापना घटक का गलत आवंटन**

उत्तर पश्चिम रेलवे में, फरवरी/मार्च 2011 (2010-11) के नियमित वेतन से संबंधित ₹ 0.11 करोड़ की राशि को लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 63 पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) कार्य के तहत बुक किया गया था। इस राशि को अगस्त 2012 की जेवी संख्या 4 के द्वारा राजस्व में हस्तांतरित किया गया था। राजस्व शीर्ष जिसके लिए राशि को हस्तांतरित किया गया था, को जेवी में वर्णित नहीं किया गया। तत्पश्चात राशि को पुन:अगस्त 2012 की जेवी संख्या आर/12 के द्वारा पूंजीगत में हस्तांतरित किया गया तथा उसे डिपॉजिट कार्य डूंगरपुर –रतलाम (डीएनआरपी-आरटीएम) नई लाइन (20119308) अर्थात पूंजगत –सामान्य प्रभार '(स्थापना के अलावा अन्य-कार्यालय व्यय –अन्य) के तहत बुक किया गया।

इस प्रकार, 2010-11 में भुगतान किए गए वेतनों से संबधित तथा पूंजीगत (सुरक्षा कार्यों) के तहत बुक राशि को 2012-13 में बिना किसी विवरण या कारणों के

राजस्व में हस्तांतरित किया गया तथा फिर पुन:पूंजीगत (डिपॉजिट कार्य) में परन्तु कार्यालय खर्च स्थापना के अलावा अन्य के तहत हस्तांतरित किया गया। यह स्थापना प्रभारों का स्थापना के अलावा अन्य में अनियमित तथा अनुचित हस्तांतरण का संकेत देता है।

इस प्रकार, कार्यालय व्ययों के लिए डीएंडजी (स्थापना) प्रभारों की बुकिंग करके बुक किए गए डीएंडजी प्रभारों (स्थापना) को ₹ 0.11 करोड़ तक कम बताया गया है।

**(ङ.) एक अस्वीकृत कार्य के क्रियान्वयन के माध्यम से दूसरे कार्य के लिए एक कार्य के डीएंडजी प्रभारों के गैर-स्थापना घटक का गलत आवंटन**

दमरे में, यह देखा गया कि पूजीगत, पूंजीगत निधि, डीआरएफ, सुरक्षा निधि ,डिपॉजिट कार्यो आदि जैसी निधियो के विभिन्न स्रोतो से विभिन्न स्वीकृत आकलनों के स्थापना प्रभारों (अस्थायी शेडों का निर्माण) के अलावा अन्य डीएंडजी प्रभारों को ₹ 16.25 करोड़ की लागत पर रेल निर्माण भवन, सिकन्दराबाद के निर्माण हेतु उपयोग के रूप में दर्शाया गया था। यह कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं था। हालांकि, कार्य कोड संख्या 007419 लेखाकरण शीर्ष 43646103 के तहत कार्य को आवंटित की गई थी। इस मामलों को पहले ही वर्ष 2011-12 के लिए विनियोजन लेखे के परिशिष्ट-जे[150] में बताया गया है। ₹ 16.25 करोड़ का यह कार्य कार्य का एक भाग भी नहीं था इसके परिणामत: एक अस्वीकृत कार्य का अप्राधिकृत क्रियान्वयन हुआ।

**(च) पूंजीगत कार्यों से राजस्व लेखे में डीएंडजी प्रभारों के व्यय की गलत बुकिंग**

एफएएंडसीएओ/मेट्रो रेल का पद निर्माण संगठन के कार्य-प्रभारी एचएजी पद के रूप में स्वीकृत नहीं था। हालांकि कथित पद के वेतन को पूंजीगत शीर्ष के तहत निर्माण आकलन में बुक करने के बजाय राजस्व शीर्ष (03-211-01) के तहत मेट्रो रेल की ओएंडएम यूनिट में बुक किया गया थ। इस प्रकार, परियोजनाओं के डीएंडजी प्रभारों की लागत को ₹ 0.41 करोड़ (अक्तूबर 2012 से मार्च 2014 तक एफएएंडसीएओ/मेट्रोरेल का वेतन) तक कम बताया गया था।

[150] परिशिष्ट जे-गैर वर्गीकरण का विवरण

**(छ) कार्य प्रभारी पदों /आकलनों के प्रति बुकिंग के लिए राजस्व व्यय के डेबिटों की अनियमित स्वीकृति सहित पूंजीगत कार्यों के डीएंडजी प्रभरो के लिए राजसव व्यय की गलत बुकिंग**

- यह देखा गया है कि क्वार्टरों/ओआरएच/बंगले की मरम्म्त, फाउंडेशन स्टोन लेइंग, टेलीफोन बिल, अवकाश नकदीकरण का भुगतान, समूह बीमा योजना (जीआईएस) तथा नकद कार्यालय के वेतन बिल आदि पर किए खुली लाइन के राजस्व शीर्षों से सम्बंधित वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमश: ₹ 37.73 लाख, ₹ 18.78 लाख तथा ₹ 172.78 लाख (कुल ₹ 229.29 लाख) के व्यय को निर्माण परियोजनाओं के डीएंडजी प्रभार शीर्ष में गलत तरीके से बुक किया गया था। इसके कारण पूंजीगत व्यय को अधिक तथा राजस्व व्यय को कम बताया गया था।
- इसके अलावा, पमरे में, डीएंडजी प्रभारों से संबंधित ₹ 1.80 करोड़ का एक हस्तांतरण प्रमाणपत्र को निर्माण संगठन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, तथपि कथित राशि को एफए एंड सीएओ कार्यालय द्वारा मनमाने ढंग से डेबिट किया गया था तथा इसे भोपाल निर्माण यूनिट द्वारा डिपॉजिट विविध के तहत रखा गया था। उप सीई (सी)/भोपाल ने कहा (फरवरी 2014) कि कथित डेबिट उसके कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित नहीं है। इस प्रकार,यह राशि प्रभार के योग्य नहीं थी।
- दपूरे में, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) सीएओ (सीओएन) कार्यालय के अधिकारियों तथा स्टाफ के वेतन तथा भत्तों को प्रत्येक माह के लिए एकल आकलन में बुक किया गया तथा सभी आकलनों के बीच समान रूप से नहीं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, तमलुक –दीघा नई लाइन परियोजना के लिए बजट परिव्यय ₹ 10 करोड़ था जिसके प्रति अक्तूबर 2013 तक ₹ 9.84 करोड़ का व्यय बुक किया गया था। वित्तीय सलाहकार के खुली लाइन अधिकारियों के वेतन के प्रति ₹ 1.99 करोड़ की तथा मुख्य लेखा अधिकारी /स्थापना राजपत्रित (एफए एंड सीएओ/ ईजीए) तथा मुख्य कार्मिक अधिकारी /गार्डन रीच, कोलकाता (सीपीओ/जीआरसी) को ₹ 68.33 लाख तक एफए एंड सीएओ/निर्माण/राजपत्रित एफए एंड सीएओ/सीओएन/ जीएजेड- ₹ 58.58 लाख तथा एफए एंड सीएओ/निर्माण (अराजपत्रित) (एफए एंड सीएओ/सीओएन (एनजी) ₹71.91 लाख की अधिक बुकिंग की गई। यह इस परियोजना के लिए कुल बजटीय परिव्यय का 20 प्रतिशत था

तथा इसके परिणामस्वरूप निधियों के अभाव के लिए अधिक संविदात्मक बिलों का लम्बन हुआ। रेल प्रशासन ने अन्य निर्माण आकलन के लिए एफए एंड सीएओ/सीओए/जीएजेड-₹ 58.58 लाख तथा एफए एंड सीएओ/सीओएन (एनजी) ₹ 71.91 लाख की स्थापना बुकिंग को स्थानांतरित किया जहां निधियां जर्नल वाउचर (जेवी) के माध्यम से उपलब्ध थी। इसके अलावा, चूंकि एफए एंड सीएओ/ईजीए तथा सीपीओ/जीआरसी के वेतन की बुकिंग के लिए निर्माण आकलन में कोई प्रावधान नहीं था, अतः रेल प्रशासन ने इन दो अधिकारियों की स्थापना बुकिंग को रिवर्स करने वाला एक जेवी जारी किया।

- लेखा विभाग, खण्ड । (एआई) के लिए भारतीय रेलवे संहिता के पैरा 406 के अनुसार, एक ही रेलवे के अन्दर दो लेखाकरण यूनिटो[151] के बीच स्थानांतरण को ट्रासंफर सर्टिफिकेट (टीसी) के माध्यम से प्रभावित किया जाना चाहिए। स्थानांतरण प्रारम्भ करने वाली यूनिट को फार्म ए406 में नकली ट्रासफर सर्टिफिकेट बनाना चाहिए तथा प्रारम्भिक लेखा अभिलेखों या यूनिट जिससे स्थानांतरण संबंधित है, के लिए स्थानांतरण के विवरण वाले वाउचर द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित एक प्रति भेजी जानी चाहिए तथा अन्य प्रति को कार्यालयी प्रति के रूप में रखना चाहिए।

भारतीय रेल में टीसी की स्वीकृति प्रणाली की समीक्षा से पता चला कि:-

- अधिक कार्य प्रभारी पदों को उन खुली लाइन संगठन के विभिन्न विभागों में परिचालित किया जा रहा है जो निर्माण संगठन की गतिविधियों से संबंधित नहीं है। इन पदों पर व्यय को ओपन लाइन संगठन द्वारा व्यय किया जाता है तथा ऋणों की स्वीकृति के लिए निर्माण लेखों में भेजा जाता है। कर्मचारी वार नाम, पदनाम, वेतन राशि तथा भत्तों जैसा अनिवार्य विवरण खुली लाइन द्वारा भेजे संबंधित टीसी में संलग्न नहीं था। इसके बावजूद इन टीसी को एआई के पैराग्राफ 406 के उल्लंघन में निर्माण संगठन द्वारा स्वीकार किया गया था।

- टीसी में उन कार्य आकलन का कोई संदर्भ नहीं है जिसके लिए वेतन तथा भत्तों को आंवंटित होने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। कुछ पदों के व्यय को (क) संबंधित कार्य के पद की गतिविध से संबंध किए बिना (ख)

[151] लेखाकरण यूनिटों से तात्पर्य मुख्यालयों (निर्माण/खुली लाइन), मण्डलों , वर्कशॉप, यातायात, स्टोर्स तथा क्षेत्रीय कार्यालयो में निर्माण के लेखा अधिकारी से है।

कार्य के लिए व्यय की बुकिंग को समर्थित करने के लिए विवरण प्राप्त किए बिना बांटा जा रहा है।

- निर्माण विभाग का लेखा अधिकारी जो खुली लाइन में परिचालित हो रहे कार्य प्रभारी पदों के डेबिटों को स्वीकार करता है, यह जांच नहीं करता कि क्या पदों के वेतन तथा भत्ते खुली लाइन विंग के है या निर्माण विंग के लिए है तथा क्या इन पदों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है तथा क्या पदों के पास वित्तीय सहमति, इन पदों के अनियमित परिचालन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है।

चूंकि इन पदों को निर्माण संगठन के कार्यो के साथ नहीं जोडा गया था। अत: डेबिटों की स्वीकृति अनुचित थी तथा इसलिए रेलवे बोर्डके निर्देशों के अनुसार प्रभार के योग्य नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ। इसमें निम्नलिखित के व्यय की बुकिंग सम्मिलित थी।

(क) पश्चिम रेलवे में परिचालन विभाग के सात अराजपत्रित पद (जून 2011 तक) तथा 5 एनजी पद (जुलाई 2011 से आज तक ) जिन पर उन खुली लाइन राजस्व में व्यय की अधिक बुकिंग से बचने के लिए वित्तीय सहमति के साथ सिविल विभाग के डीएंडजी को प्रभारित किया गया था जो खुली लाइन में यातायात विभाग के तहत 22 पदों के अनियमित परिचालन के कारण उत्पन्न हुआ था। राजस्व अनुदान में अचत को 2011-12 में परिचालन विभाग में 6 राजपत्रित पदों की मुद्रा को बढाने के लिए उपयोग किया गया था;

(ख) पश्चिम रेलवे में एक एसएजी स्तर पद जो खुली लाइन में 1998 से परिचालित है, व्यय जिसे रेलवे बोर्ड के निर्देशो पर निर्माण संगठन में डेबिट किया जा रहा है;

(ग) मुख्य सतर्कता निरीक्षक के पांच पदों को संबंधित राजस्व अनुदानो के तहत इन पदों को परिचालित करने के बजाय निर्माण कार्यो में बुक किए जा रहे उनके व्यय के साथ दक्षिण रेलवे में अप्रैल 2012 से स्वीकृति के बिना परिचालित किया जा रहा था;

(घ) पूर्व मध्य रेलवे में खुली लाइन में वेतन के रूप ₹ 24.54 करोड़ का भुगतान किया गया जिसे जर्नल वाउचर(जेवी) के माध्यम से समायोजित किया गया तथ निर्माण के तहत विभिन्न परियोजनाओं के डीएंडजी प्रभारों (स्थापना) के

लिए बुक किया गया। जेवी को उस स्टाफ की अवधि तथा संख्या के विवरण द्वारा समर्थित नहीं किया गया जिससे वह व्यय संबंधित था। एकमुश्त राशि को लिया गया तथा रिकॉर्ड पर नियुक्त किए जा रहे किसी विशिष्ट कारक के बिना विभिन्न कार्यों में स्थानांतरित किया गया।

सभी क्षेत्रीय रेलवे में खुली लाइन में परिचालित तथा निर्माण संगठन द्वारा स्वीकृत पदों की लागत को वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 37.12 करोड़, ₹ 49.00 करोड़ तथा ₹ 60.07 करोड़ तक निकाला गया। इस प्रकार, पूंजीगत व्यय के रूप में ₹ 146.19 करोड़ के राजस्व व्यय की बुकिंग के परिणामस्वरूप कार्यो के लिए निधियों की उपलब्धता की कमी हुई तथा गुणवत्ता और समय दोनों के अनुसार रेलवे परिसम्पत्तियों के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा उन्नयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। **(अनुबंध IX)**

### 3.7.2.4 कार्य के लिए कार्य प्रभारी पदों के कोरसपोंडिंग उपयोग के साथ डीएंडजी प्रभारों के तहत कार्य के लिए वर्गीकृत स्थापना व्यय का निर्धारण करने के लिए पारदर्शी तंत्र का अभाव

रेलवे बोर्ड डीएंडजी प्रभारों के तहत एक वार्षिक आधार पर निर्माण परियोजनाओं के राजपत्रित स्टॉफ के पदों के सृजन/विस्तार हेतु मानदण्ड का निर्धारण करता है। निर्धारित किए मानदण्ड सभी विभागों के लिए वार्षिक सकल परिव्यय के अनुसार है। वर्ष के दौरान सभी कार्यों पर किए जाने वाले संभावित व्यय को आवश्यक कार्य प्रभारी स्थापना का पता लगाने के लिए ध्यान में रखना चाहिए।

जुलाई 1985 में, रेलवे बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि वर्ष के दौरान उन कार्यों पर किए व्यय के लिए कार्य प्रभारी स्थापना की लागत की प्रतिशतता निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया (फरवरी 2011) था कि निर्धारित डीएंडजी प्रभार अधिकतम सीमा है तथा केवल न्यूनतम के लिए वास्तविक प्रावधान को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए । परिव्यय की मात्र उपलब्धता ऐसे एक निर्धारण के आधार पर नहीं होनी चाहिए। कार्य प्रभारी स्थापना पर सम्पूर्ण व्यय निर्धारित डीएंडजी प्रभारों के अन्दर होना चाहिए।

समीक्षा के लिए चयनित परियोजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि रेल प्रशासन ने विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए डीएंडजी प्रभारों की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार कार्यवार/परियोजना वार डीएंडजी प्रभारों का

निर्धारण किया तथापि एक विशेष वर्ष में एक विशेष कार्य के प्रति बुक राशि सम्बंधित कार्य में व्यय के तय आकलन के लिए निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार नहीं थी। समीक्षा के परिणामों का सार निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

**तालिका 3.11**

| वर्ष | लेखापरीक्षा के दौरान कवर किए कार्यो की संख्या | कुल व्यय के लिए डीएंडजी व्यय (व्यय प्रतिशत की रेंज) | | इन कार्यो की संख्या जहां वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य पर डीएंडजी प्रभारों पर व्यय अधिक था। | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अधिकतम | न्यूनतम | कुल व्यय के 25 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक | कुल व्यय के 50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत तक | कुल व्यय का 75 प्रतिशत |
| 2011-12 | 280 | 100 | 0.06 | 16 | 8 | 13 |
| 2012-13 | 280 | 104.17 | 0.01 | 19 | 5 | 10 |
| 2013-14 | 280 | 100 | 0.02 | 12 | 11 | 13 |

- यह तथ्य कि क्रियान्वित किए जा रहे कार्य के लिए बुक डीएंडजी प्रभारों ने कुछ कार्यों में बुक कुल व्यय के 104.17[152] प्रतिशत से अधिकतम निर्मित किया यह प्रमाणित करता है कि इन प्रभारों को वर्ष के दौरान किसी प्रत्यक्ष प्रगति के बिना भी बंक किया जा रहा है।

- आगे यह देखा गया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक जहां कुल व्यय के 75 प्रतिशत से अधिक को डीएंडजी प्रभारों के तहत व्यय की अव्यवस्थित बुकिंग के कारण डीएंडजी प्रभारों पर उपयोग किया गया था, के दौरान प्रगति पर 36[153] कार्यों के संदर्भ में डीएंडजी प्रभारों की बुकिंग को वास्तव में उन कार्यो के लिए किया जा रहा है जहां निधियों उपलब्ध है। इससे अंतिम रूप से ऐसी परिस्थिति हुई जहां कार्य के लिए कार्य प्रभारी पदों की वास्तविक आवश्यकता के समय पर संबंधित कार्य में उपलब्ध डीएंडजी प्रभार पहले से ही सुविस्तृत किया गया है। इस तथ्य पर भी अध्यक्ष रेलवे बोर्ड द्वारा जीएम/मेट्रो तथा जीएम (निर्माण)/उमरे /पीयूज सहित सभी महाप्रबंधकों को सम्बोधित करने वाले उसके दिनांक 26 मार्च 2014 के पत्र के माध्यम से टिप्पणी की गई है।

[152] दपरे में बुक सकल व्यय ₹ 6083000 था तथा वर्ष के दौरान प्राप्त क्रेडिट ₹ 3014000 था। इस प्रकार वर्ष 2012-13 के लिए निवल व्यय ₹ 3019000 था इस प्रकार, वर्ष 2012-13 के लिए निवल व्यय ₹ 3019000 था। जिसके प्रति डीएंडजी शीर्षों में बुक राशि ₹3145000 अर्थात वास्तविक व्यय का 104.17 प्रतिशत थी।

[153] 2011-12 में कुल 13 कार्य (पूतरे-2, उरे-2 दमरे -2 दपूरे-1, दरे-4 तथा परे-2), 2012-13 में कुल 10 कार्य (मरे -1, उमरे -1 उरे-2, उपरे-1, दरे-2, दपरे-1, पमरे-1 तथा परे-1) तथा 2013-14 में कुल 13 कार्य (पूतरे-2 , उमरे-1,उरे-3, उपरे-1, दमरे-1, दपूमरे-1, दरे-3 तथा पमरे-1)।

- पूरे तथा पू म रे में रेल प्रशासन द्वारा डीएंडजी प्रभारों की बुकिंग के कार्यवार विवरण प्रदान नहीं किए गए।
- उस कार्य के डीएंडजी प्रभारों के स्थापना घटक के तहत बुक व्यय के लिए एक कार्य पर कार्य प्रभारी पदों के उपयोग की सीमा से जोडने वाली एक पारदर्शी प्रणाली का अभाव था जिसे क्रमश: पैरा 3.7.3.1 में वर्णित अनुसार अपूर्ण विवरणों के साथ टीसी की स्वीकृति तथा कार्य रजिस्टरों के खराब रखरखाव द्वारा सुगम बनाया गया था।

### 3.7.2.5 वास्तविक व्यय के संबंध में पदों का अधिक परिचालन

कार्य प्रभारी पदों के लिए प्रावधानों को डीएंडजी प्रभारों के रूप में वर्गीकृत आकलन की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत कार्यों के आकलनों में बनाया जाता है। इन प्रभारों को फरवरी 2011 में किए जा रहे नवीनतम के साथ समय समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कार्य प्रभारी पदों को संबंधित वर्ष के लिए बजट परिव्यय के आधार पर उचित ठहराया, बनाया/विस्तारित किया जाता है। नवम्बर 2011 में, रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया कि पदों के सृजन का आधार होना चाहिए तथा यह प्रभार के योग्य होनी चाहिए।

बजट निर्माण की प्रक्रिया क्षेत्रीय यूनिट स्तर[154] पर प्रारंभ होती है। क्षेत्रीय यूनिटे उन विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय का आकलन बनाती है जो संबंधित वर्ष के लिए निधियों की आवश्यकता के पूर्वनुमान हेतु आधार बनाते है। तक आकलनों को क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार तथा अंतिम आवंटन के लिए संकलित तथा संवीक्षित किया जाता है। रेलवे बोर्ड सभी क्षेत्रों से प्राप्त आकलनों को 'अनुदान हेतु मांग' के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद द्वारा विनियोजन बिल को पास करने के पश्चात, सभी क्षेत्रीय रेलवे को कार्य वार बजटीय आवंटन किया जाता है। रेलवे बोर्ड द्वारा निधियों के आंवटन पर सीएओ (सी) या जीएम(सी) द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर निधियों का विभागवार वितरण किया जाता है। व्यय की प्रगति को प्रत्येक माह नियंत्रण प्राधिकारियों को प्रस्तुति हेतु लेखा अधिकारियों द्वारा निर्मित मासिक वित्तीय समीक्षा के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। निधियों की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए अगस्त, दिसम्बर तथा फरवरी के दौरान तीन बजटीय समीक्षाएं बनाई जाती है। इस आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा निधियों का पुन: विनियोजन/अंतिम आंवटन किया जाता है। अंतिम

[154] क्षेत्रीय रेलवे की निर्माण यूनिट में उप मुख्य इंजीनियर का कार्यालय

बजट आवंटन आदेशों में योजना शीर्ष[155] वार निधियों को रेलवे बोर्ड द्वारा आवंटित किया जाता है तथा इसमें मूल बजट वितरण के समय किया मूल कार्य वार आवंटन निहित है। यह तंत्र मूल बजटीय आवंटन से भिन्न कार्यों का करने/उन पर जोर देने/उन्हे प्राथमिकता देने को सरल बनाता है। रेलवे बोर्ड से प्राप्त अंतिम बजट आवंटन को क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा आगे कार्यवार वितरित किया जाता है।

समतुल्य डीएंडजी प्रभारों की उपलब्धता पर अपेक्षित व्यय के परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण पर अपेक्षित व्यय को परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए व्यय की समीक्षा के परिणामों का विस्तार नहीं किया जा रहा है। मार्च 2014 में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड ने बजट अनुदानों में बाद में संशोधन के आधार पर कार्य प्रभारी पदों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्य प्रभारी पदों के परिचालन में ऊपर की ओर या नीचे की ओर संशोधन सहित कोई निर्धारण नहीं देखा गया (दिसम्बर 2014)। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड ने जुलाई 2014 में डीएंडजी प्रभारों के तहत परिचालित होने वाले राजपत्रित पदों पर व्यय के परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए सूचना प्राप्त की तथा यह पाया कि व्यय की समीक्षा के परिणामों में यह विस्तार 2013-14 में डीएंडजी प्रभारों के तहत परिचालित 93 राजपत्रित पदों (एचएजी-6, एसएजी-12 तथा जेएजी-75 ) की संख्या में कमी का कारण होगा।

हालांकि रेलवे बोर्ड द्वारा इन पदों को कम करने के मामले में कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई है। सूचना के परिणामों को किसी अन्य कार्यवाही के बिना छोड़ दिया गया है।

वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान, सिविल इंजीनिरिंग तथा इसके सर्वेक्षण, एसएंडटी तथा सर्वेक्षण, विद्युतीय तथा इसके सर्वेक्षण के लिए बजट अनुदान क्रमशः ₹ 18022 करोड़, ₹ 15490 करोड़ तथा ₹ 13645 करोड़ था। इन वर्षों के लिए अंतिम अनुदान क्रमशः ₹ 12904 करोड़, ₹ 13482 करोड़ तथा ₹ 15008 करोड़ था जिसके प्रति इन वर्षों में बुक किया गया वास्तविक व्यय क्रमशः ₹ 13191 करोड़, ₹ 13347 करोड़ तथा ₹ 14928 करोड़ था।

यह पाया गया कि:

---

[155] नई लाइन(1100), गैज रूपान्तरण (1400), दोहरीकरण (150), यातायात सुविधाएं (1600), रॉलिंग स्टॉक (2100), ब्रिज कार्य (3200), सिगनलिंग तथा दूरसंचार कार्य (3300), उत्पादन यूनिट सहित वर्कशॉप (4200), अन्य निर्दिष्ट कार्य(6400) आदि।

- वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान सम्पूर्ण व्यय मूल बजट अनुदान (वह आधार जिस पर कार्य प्रभारी पदों को उचित ठहराया तथा सृजित किया गया) से ₹ 4831 करोड़ (26.81 प्रतिशत) तथा ₹ 2143 करोड़ (13.83 प्रतिशत) तक कम था जबकि 2013-14 के दौरान सम्पूर्ण व्यय मूल बजट अनुदान से ₹ 1283 करोड़ (9.40 प्रतिशत) तक अधिक था।
- अंतिम अनुदान को वास्तविक व्यय से जोड़ने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में जारी किया जाता है। बजट अनुदानों के संशोधन के पश्चात, मूल बजट अनुदान के आधार पर सृजित कार्य प्रभारी पदों में आनुपातिक परिवर्तनों को डीएंडजी प्रभारों पर व्यय की अधिक बुकिंग के कारण पदों के अधिक परिचालन के परिणामस्वरूप किया जाता है।

इसे अलावा, अंतिम अनुदान के समय बजट परिव्यय की कमी के प्रभाव तथा वास्तविक व्यय की भी समीक्षा की गई थी तथा यह पाया गया कि –

- वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान, अंतिम अनुदानों के आधार पर सिविल इंजीनियरिंग, संकेत एवं दूरसंचार, विद्युतीय, स्टोर्स तथा लेखा विभागों में कार्य प्रभारी पदों के पुन: निर्धारण के कारण 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान राजपत्रित पदों की 531, 420 तथा 697 संख्या सहित क्रमश: ₹ 51.25 करोड़,[156] ₹ 44.25 करोड़[157] तथा ₹ 75.24 करोड़[158] की बचत होगी।
- इसी तरह वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान यह देखा गया कि पद धारकों द्वारा क्रियान्वित वित्तीय संबंध (वास्तविक व्यय) में कार्य

---

[156] ₹1.76 करोड़ (मरे), ₹5.23 करोड़ (पूतरे), ₹ 4.17 करोड (पूमरे), ₹0.86 करोड़ (पूरे), ₹1.08 करोड़ (उमरे), ₹ 0.3 करोड़ (उपूरे), ₹ 5.28 करोड़ (उरे), ₹2.34 करोड़ (उपरे), ₹ 3.09 करोड़ (दमरे), ₹4.6 करोड़ (दपूमरे), ₹0.96 करोड़ (दपरे), ₹ 0.5 करोड़ (दरे), ₹1.13 करोड़ (दपरे), ₹12.07 करोड़ (पमरे), तथा ₹ 7.89 करोड़ (परे)

[157] ₹1.53 करोड़ (मरे), ₹3.05 करोड़(पूतरे), ₹ 6.39 करोड़ (पूतरे), ₹ 0.72 करोड़ (पूरे), ₹ 0.71 करोड़ (मेट्रोरेल), ₹ 1.58 करोड़ (उमरे), ₹1.29 करोड़ (उपूरे), ₹3.93 करोड़ (उरे), ₹ 2.1 करोड(उपरे), ₹ 2.33 करोड़ (दमरे), ₹ 2.19 करोड़ (दपूमरे), 0.51 करोड़(दरे), ₹ 0.1 करोड़ (दपरे), ₹12.36 करोड़ (पमरे) तथा ₹ 5.44 करोड़ (परे)।

[158] ₹1.97 करोड़ (मरे), ₹ 1.61 करोड़ (पूतरे), ₹11.16 करोड़ (पूमरे), ₹ 3.97 करोड़ (पूरे), ₹ 2.89 करोड़ (मेट्रो रेल), ₹ 4.48 करोड़ (उमरे), ₹1.87 करोड़ (उपूरे), ₹0.34 करोड़ (उसीरे), ₹6.04 करोड़ (उरे) ₹4.18 करोड़ (उपरे), ₹ 4.1 करोड़ (दमरे), ₹ 3.77 करोड़ (दपूमरे), ₹ 1.08 करोड़ (दपूरे), ₹4.06 करोड़ (दरे), ₹ 0.86 करोड़ (दपरे), ₹ 16.41 करोड़ (पमरे) तथा 6.45 करोड़ (परे) ।

की मात्रा की तुलना में ₹ 52.05 करोड़[159], ₹ 48.08 करोड़[160] तथा ₹ 77.20 करोड़[161] का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

इस प्रकार, परिव्यय के प्रति व्यय में कमी के लिए पद आनुपातिकता में कमी न होने के कारण, रेल प्रशासन को वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान राजपत्रित पदों पर डीएंडजी प्रभारों के तहत ₹177.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था। इस कारण अराजपत्रित पदों के अधिक परिचालन का निर्धारण अराजपत्रित पदों के लिए ऐसे मानदण्डों के अभाव में संभव नहीं है।

**परिशिष्ट X**

### 3.7.2.6 डीएंडजी प्रभारों पर संस्वीकृत आकलन से अधिक व्यय

अनियमित बुकिंग तथा परिव्यय के प्रति व्यय में कमी करने के लिए पद आनुपातिकता में कमी न होने के प्रभाव को डीएंडजी प्रभारों में प्रावधान के प्रति अधिक व्यय के रूप में लेखापरीक्षा में कवर किए 226 चालू तथा 54 पूर्ण कार्यो की समीक्षा में देखा गया था जो निम्नानुसार है-

#### (क) चालू परियोजनाएं

- लेखापरीक्षा में कवर किए 226 निर्माण कार्यों में से 53 कार्यों में ₹ 1275.58 करोड़ राशि के आकलनों में निर्मित प्रावधान से अधिक डीएंडजी प्रभारों (स्थपना) की बुकिंग देखी गई थी।

---

159 ₹1.76 करोड़ (मरे), ₹5.65 करोड़ (पूतरे), ₹ 4.48 करोड (पूमरे), ₹0.67 करोड़ (पूरे), ₹1.08 करोड़ (उमरे), ₹0.39 करोड़ (उपूरे), ₹0.29 करोड (उसरे), ₹ 4.43 करोड़ (उरे), ₹ 2.53 करोड (उपरे) ₹2.72 करोड (दमरे), ₹4.6 करोड़ (दपूमरे), ₹ 1.21 करोड़ (दपूरे), ₹0.5 करोड़ (दरे), ₹ 1.38 करोड़ (दपरे), ₹12.56 करोड़ (पमरे) तथा ₹ 7.79 करोड़ (परे)।

160 ₹1.53 करोड़ (मरे), ₹3.15 करोड (पूतरे), ₹5.59 करोड़ (पूमरे), ₹ 0.72 करोड़ (पूरे), ट0.71 करोड़ (मेट्रो रेल), ₹ 1.58 करोड़ (उमरे), ₹0.87 करोड़ (उपूरे), ₹3.93 करोड़ (उरे), ₹2.21 करोड (उपरे), ₹3.04 करोड (दमरे), ₹2.39 करोड (दपूमरे), ₹0.25 करोड (दपूरे), ₹0.51 करोड़(दरे), ₹0.47 करोड (दपरे), ₹15.57 करोड (पमरे) तथा ₹5.55 करोड़ (परे)

161 ₹ 2.25 करोड़ (मरे), ₹3.37 करोड पूतरे), ₹11.45 करोड़ (पूमरे), ₹4.08 करोड़ (पूरे), ₹2.89 करोड (मेंट्रो रेल), ₹ 4.59 करोड़(उमरे), ₹1.63 करोड़ (उपूरे), ₹ 0.34 करोड़ (उसीरे), ₹ 5.81 करोड़ (उरे), ₹ 4.40 करोड़ (उपरे), ₹3.44 करोड़(दमरे), ₹ 3.55 करोड़ (दपूमरे), ₹ 1.30 करोड़ (दपूरे), ₹ 3.87 करोड़ (दरे), ₹ 1.06 करोड़ (दपरे), ₹16.50 करोड़ (पमरे) तथा ₹ 6.67 करोड़ (परे)।

- लेखापरीक्षा में कवर किए 226 निर्माण कार्यों में से 49 कार्यों में ₹ 231.48 करोड़ राशि के आकलनों में निर्मित प्रावधान से अधिक डीएंडजी प्रभारों (स्थापना के अलावा अन्य) की बुकिंग देखी गई थी।
- 20 कार्यों जिनमें शीर्ष डीएंडजी के तहत स्थापना तथा स्थापना के अलावा अन्य प्रभारों का पृथक ब्रेकअप उपलब्ध नहीं था, में आकलनों में निर्मित ₹ 299.67 करोड़ के प्रावधान के प्रति ₹ 999.04 करोड़ की राशि को बुक किया गया था जिसके परिणामस्वरूप् ₹ 699.37 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।
- 10 कार्यों में शीर्ष डीएंडजी के तहत या तो आकलनों में या संबंधित कार्य में बुक वास्तविक राशि में स्थापना तथा स्थापना के अलावा अन्य प्रभारों का विवरण उपलब्ध नहीं था।
- अन्य कार्य में डीएंडजी प्रभारों के तहत व्यय आकलन में प्रदत्त रूप में सम्पूर्ण सीलिंग के अन्दर था।

**(ख) पूर्ण परियोजनाएं**

- लेखापरीक्षा में देखे गए 54 निर्माण कार्यों में से 25 कार्यों में ₹ 228.16 करोड़ की राशि के आकलनों में निर्मित प्रावधानों से अधिक डीएंडजी प्रभारों (स्थापना) की बुकिंग देखी गई थी।
- 54 निर्माण कार्यों में से 20 कार्यों में ₹ 71.96 करोड़ की राशि के आकलनों में निर्मित प्रावधानों से अधिक डीएंडजी प्रभारों (स्थापना के अलावा अन्य) की बुकिंग देखी गई थी।
- तीन कार्यों जिनमें शीर्ष डीएंडजी के तहत स्थापना तथा स्थापना के अलावा अन्य प्रभारों का पृथक ब्रेकअप उपलब्ध नहीं था, में ₹ 4.72 करोड़ की राशि का आकलनों में किए डीएंडजी प्रभारों के कुल प्रावधान से अधिक बुक किया गया था।
- अन्य कार्य में डीएंडजी प्रभारों के तहत व्यय आकलनों में प्रदत्त रूप मं सम्पूर्ण सीलिंग के अन्दर था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएंडजी प्रभारों को स्वीकृत आकलनों में प्रदत्त रूप में कार्यों के लिए बजट अनुदान तथा डीएंडजी प्रभारों की सम्पूर्ण बुकिंग पर विचार किए बिना अकुशल तरीके से कार्यों को बुक किया जा रहा है।

## (ग) डीएंडजी प्रभारों की अनुचित बुकिंग

रेलवे वर्ष के प्रारम्भ में कुल आकलित परिव्यय पर आधारित उपयोग्य डीएंडजी प्रभारों का अनुमान लगाती है तथा उस परिव्यय के आधार पर उपयोग होने के लिए निर्धारित कुल डीएंडजी प्रभारों को ध्यान में रखते हुए पदों का परिचालन करती है। वर्ष के अन्त में वास्तविक व्यय वर्ष के प्रारम्भ में आकलित परिव्यय से भिन्न है। वास्तविक व्यय के आधार पर उपलब्ध डीएंडजी प्रभारों को लेखापरीक्षा में निर्धारित किया गया। उपयुक्त फॉर्मूला समान था परन्तु प्रत्येक विभाग के परिव्यय के स्थान पर वास्तविक व्यय को लिया गया था। विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के संदर्भ में बुक की गई अधिक राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

**तालिका 3.12** (आंकडे ₹ हजार में )

| रेलवे का नाम | 2011-12 से 2013-14 के दौरानबुक की गई अधिक/कम राशि | | |
|---|---|---|---|
| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| मरे | -27730 | 78354 | 123450 |
| पूरे | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| पूमरे | -98134 | 214069 | 345315 |
| पूतरे | 200911 | 173196 | 100887 |
| मेट्रो रेल | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| उमरे | -23821 | 5492 | 19443 |
| उपूरे | 452808 | 91882 | 113140 |
| उसीरे | -1945757 | -71336 | -1129195 |
| उरे | 1086205 | 1231569 | 1774078 |
| उपरे | 95996 | -24760 | 96228 |
| दमरे | 40500 | 205900 | -30400 |
| दपूमरे | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| दपूरे | -40113 | -107026 | -334868 |
| दरे | उपलब्ध नहीं | -811207 | -227384 |
| दपरे | -139430 | -200544 | -418459 |
| दमरे | 5290 | 85375 | 48031 |
| परे | 350752 | 357511 | 203320 |
| कुल अधिक्य | 2232462 | 2443348 | 2823892 |
| कुल बचत | 2274984 | 1214873 | 2140306 |

- वर्ष 2011-12 के दौरान, सात क्षेत्रीय रेलवे के संदर्भ में ₹ 223.25 करोड़ तक डीएंडजी प्रभारों का एक निर्धारित अधिक उपयोग तथा छः क्षेत्रीय रेलवे के संदर्भ में ₹ 227.50 करोड़ तक बचत थी।
- वर्ष 2011-12 के लिए चार क्षेत्रीय रेलवे[162] के संदर्भ में डीएंडजी प्रभारों के उपयोग से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि संबंधित क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक सूचना नहीं दी गई।
- वर्ष 2012-13 के दौरान , नौ क्षेत्रीय रेलवे के संदर्भ में ₹ 244.33 करोड़ तक डीएंडजी प्रभारों का निर्धारित अधिक उपयोग तथा पांच क्षेत्रीय रेलवे के संदर्भ में ₹ 121.49 करोड़ तक बचत थी।
- वर्ष 2012-13 के लिए तीन[163] क्षेत्रीय रेलवे के संदर्भ में डीएंडजी प्रभारों के उपयोग से संबंधित सूचना उपलब्घ नहीं थी क्योंकि संबंधित क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक सूचना नहीं दी गई।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, नौ क्षेत्रीय रेलवे के संदर्भ में ₹ 282.39 करोड़ तक डीएंडजी प्रभारों का निर्धारित अधिक उपयोग तथा पांच क्षेत्रीय रेलवे के संदर्भ में ₹ 214.03 करोड़ तक बचत थी।
- वर्ष 2013-14 के लिए तीन[164] चार क्षेत्रीय रेलवे के संदर्भ में डीएंडजी प्रभारों के उपयोग से संबंधित सूचना उपलब्घ नहीं थी क्योंकि संबंधित तीन क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक सूचना नहीं दी गई।
- 2011-12 से 2013-14 की समयावधि के दौरान, क्षेत्रीय रेलवे हेतु ₹ 749.97[165] करोड़ की अतिरिक्त राशि को शामिल करते हुए ₹ 186.95 करोड़ का निर्धारित अधिक उपयोग तथा ₹ 563.02[166] करोड़ की बचत थी जिसके लिए सूचना उपलब्ध नहीं थी।

---

[162] पूरे, मेट्रो रेल, दपूमरे तथा दरे

[163] पूरे, मेट्रो रेल तथा दपूमरे

[164] पूरे, मेट्रोरेल तथा दपूमरे

[165] वर्ष 2011-12 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 223.25 करोड, ₹ 244.33 करोड़ तथा ₹ 282.39 करोड़।

[166] वर्ष 2011-12 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 227.50 करोड, ₹ 221.49 करोड़ तथा ₹ 214.03 करोड़।

### 3.7.2.7 निष्क्रिय गतिविधियों हेतु परिचालित पदों पर निष्फल व्यय

कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण तथा ड्राइंग, कॉपिंग प्रिंटिंग आदि के लिए नई मशीनो की प्रस्तुति के कारण रोनियो ऑपरेशन तथा फेररो प्रिंटिंग के कार्य व्यवहार में नहीं थे। अतः 'रोनियो ऑपरेटर' तथा 'फैरो प्रिंटर' के पद अनावश्यक हो गए थे। हालांकि यह पाया गया कि इन पदों का दक्षिण रेलवे में परिचालित होना जारी था जैसाकि नीचे वर्णित है:

**तालिका 3.13 अनावश्यक पदों का परिचालन**

| पद | विभाग | वर्ष | संख्या |
|---|---|---|---|
| रोनियो ऑपरेटर | सिविल /इलेक्ट्रिकल | 2011-12 | 4 |
| | | 2012-13 | 4 |
| | | 2013-14 | 4 |
| फैरो प्रिंटर/खलासी | सिविल/एसएंडटी | 2011-12 | 9 |
| | | 2012-13 | 9 |
| | | 2013-14 | 9 |

*स्रोतः स्केल जोच विवरण, योजना ब्रांच की कार्य अध्ययन रिपोर्ट*

उक्त अनावश्यक पदों की लागत ₹ 1.35 करोड़ (अवकाश वेतन तथा पेंशन योगदान को छोड़कर) हो गई है। दरे को अनावश्यक गतिविधियों से संबंधित उक्त पदों को छोडने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

### 3.7.3 अन्य मुद्दे

### 3.7.3.1 कार्य रजिस्टरों का अनुचित रख रखाव

कार्य रजिस्टर[167] वह सूचना प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण प्रबंधक उपकरण का कार्य करते है जो आकलन में निर्मित प्रावधन के साथ एक कार्य के प्रति किए गए व्यय की तुलना को सक्षम बनाती है। इस रजिस्टर को फॉर्म ई-1473 में तथा आकलन में दर्शाई राशि में बनाया जाना चाहिए,बजट आवंटन तथा लेखा शीर्षो द्वारा प्रत्येक कार्य पर व्यय के विवरण को इस रजिस्टर में दर्शाया जाना चाहिए। रजिस्टर वर्गीकरण के विवरण शीर्षो,को प्रत्येक कार्य के लिए किए जा रहे पृथक फोलिया द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। प्रत्येक माह के अन्त में, कार्य रजिस्टर को समाप्त किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक कार्य के लिए मासिक, वार्षिक तथा आधुनिक जोड़ किया जाना चाहिए। समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि -

[167] पैरा 1472-ई के तहत परिभाषित

- उपरे में,वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान कार्य रजिस्टरों को मैन्युअली बनाया गया था। यह पाया गया कि इन रजिस्टरों को उचित प्रकार से बनाया नहीं जा रहा था क्योंकि आकलित लागत, बजट आवंटन आदि के योजना शीर्ष वार विवरण कार्य आवंटन में दर्ज नहीं थे। रजिस्टर में पोस्टिंग उचित प्रकार से नहीं की गई थी तथ बार-बार सुधार किए गए थे। वर्ष 2011-12 के लिए दौसा-गंगापुर सिटी नई लाइन के कार्य रजिस्टर में, योजना शीर्ष वार विवरणो को दर्शाए बिना केवल कुल व्यय प्रदर्शित किया गया था। अप्रैल 2013 से इन्हें कम्प्यूटरीकृत तरीके से बनाया गया तथा कोई बाद का परिवर्तन जो व्यय के आवंटन में आवश्यक है, को ट्रांसफर सर्टिफिकेट के माध्यम से किया जा रहा है।
- इसके अलावा, पमरे की निर्माण यूनिट जबलपुर में कार्य रजिस्टरों में बार-बार सुधार भी देखा गया था।
- उरे, पूरे, उमरे, मेट्रो रेल, दपूरे, दरे, दपूमरे, दमरे, उसरे तथा परे में कार्य रजिस्टरों को कम्प्यूटरों पर बनाया जाता है परन्तु डीएंडजी प्रभारों का शीर्ष वार वर्गीकरण नहीं किया गया है।
- पूतरे में, यद्यपि कार्य रजिस्टरों को 2008 में कम्प्यूटरीकृत किया गया था तथापि, विभिन्न आकलनों में डीएंडजी प्रभारों को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम (प्राइम मॉडयूल) में कोई विशेष सुविधा  नहीं थी।
- दपरे में, कार्य रजिस्टरों को कम्प्यूटर पर बनाया गया था तथा डीएंडजी प्रभारों का शीर्षवार वर्गीकरण किया गया है।
- पूमरे, उपूरे,पूतरे तथा पूरे में, 56 कार्यों के संदर्भ में डीएंडजी के तहत व्यय की बुकिंग से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे जैसा कि अनुसूची 5.1 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा में डाटा का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।

## 3.8 निष्कर्ष

डीएंडजी प्रभारों के निर्धारित प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप् स्टाफ की लागत को कार्य क्रियान्वयन के लिए कम निधि उपलब्धता के कारण कार्य प्रभारी पदों  के सृजन/परिचालन के लिए गलत तरीके से निर्धारित किया गया। उन पदों  जो निर्माण संगठन के कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से जुडी नहीं है, की लागत की बुकिंग तथा उच्च ग्रेड वाले पदों  के परिचालन के कारण कार्य के लिए कम स्वीकृत आकलनों से अधिक निधि उपलब्धता हुई। व्यय करने से जुडे परिचालित

होने वाले पदों के आवधिक मापन के सिस्टम के अभाव के कारण अधिक पदों का परिचालन हुआ। समीक्षा से यह भी पता चला कि :

- पदों की लागत का मापन निर्धारित से काफी कम था। विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे संगठनो द्वारा कार्य प्रभारी पदों की लागत के अपने निर्धारण में सम्मिलित लागत के तत्वों में काफी भिन्नता देखी गई थी।
- वरिष्ठ स्केल में राजपत्रित अधिकारियों के कार्य प्रभारी पदों को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डो से अधिक सृजित/परिचालित किया गया था।
- विभागों अर्थात यातायात, कार्मिक, चिकित्सा सतर्कता, सामान्य प्रशासन तथा परिचालन में कार्य प्रभारी पदों के परिचालन के लिए मानदण्ड ऐसे मानदण्डों की आवश्यकता का पता लगने के छः वर्षों पश्चात भी रेलवे बोर्ड द्वारा बनने शेष है।
- निर्माण संगठन में सुरक्षा विभाग के पदों (आरपीएफ) का अनुचित परिचालन देखा गया था।
- निर्माण संगठन द्वारा क्रियान्वित कार्यों के डीएंडजी प्रभार के प्रति सृजित कार्य प्रभारी पदों को प्रभार की वर्थ के बिना खुली लाइन में परिचालित किया गया था।
- लेखों के अन्य शीर्षों से संबंधित व्यय को डीएंडजी प्रभारों से संबंधित लेखाकरण वर्गीकरण के तहत गलत तरीके से बुक किया गया जिसके परिणमस्वरूप डीएंडजी प्रभारों के तहत व्यय को अधिक बताया गया।
- डीएंडजी प्रभारों से संबंधित व्यय को अन्य लेखाकरण वर्गीकरण में गलत तरीके से बुक किया गया था जिसके परिणामस्वरूप डीएंडजी प्रभारों के तहत व्यय को कम बताया गया।
- खुली लाइन से ट्रांसफर सर्टिफिकेट के माध्यम से निर्माण संगठन द्वारा डेबिटों की स्वीकृति के सिस्टम में दोषपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के कारण डीएंडजी प्रभारों के तहत व्यय को अधिक बताया गया।
- डीएंडजी प्रभार (स्थापना) शीर्षों के तहत व्यय को संबंधित कार्य से पद के कार्य को जोड़ने के लिए एक पारदर्शी तंत्र के बिना विभिन्न कार्यों में बुक किया गया जिसके कारण कार्य आकलनों में डीएंडजी प्रभार प्रदान करने के तंत्र का गलत उपयोग हुआ।

- राजस्व शीर्षें से संबंधित व्यय को गलत तरीके से पूंजीगत कार्यों के लिए बुक किया गया।
- कार्य रजिस्टरों को सभी आवश्यक विवरण दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में उचित प्रकार से अनुरक्षित नहीं किया गया।

### सिफारिशें

- *पदों  की लागत को वित्तीय संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।*
- *स्वीकृत आकलन के अन्दर डीएंडजी प्रभारों को प्रतिबंधित करने के लिए कार्य प्र्भारी पदों  के परिचालन हेतु रेलवे बोर्डद्वारा निर्धारित अनुपात का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।*
- *सभी पदों  के लिए मानदण्डों को परिचालित होना आवश्यक था क्योंकि कार्य प्रभारों को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित तथा तदनुसार परिचालित किया जाना चाहिए।*
- *निर्माण कार्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध न रखने वाले कार्यप्रभारी पदों  को निर्माण आकलनों के प्रति खुली लाइन में परिचालित नहीं किया जाना चाहिए।*
- *उसी कार्य या अन्य कार्यों के लेखों के गलत शीर्षों के तहत डीएंडजी प्रभारों पर व्यय की बुकिंग तथा डीएंडजी प्रभारों के तहत अन्य व्यय के आवंटन को ईमानदारी से रोकना चाहिए।*
- *डीएंडजी प्रभारों के उपयोग को कार्य की प्रगति के साथ प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है तथा पदों  के परिचालन की एक वित्तीय वर्ष के अन्दर इसे बजट परिव्यय के संशोधन से जोड़कर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि जहां वास्तव में आवश्यक हो,वहां कार्य प्रभारी पदों  का अधिक कुशल तरीके से उपयोग हो।*
- *डीएंडजी प्रभारों पर वास्तविक व्यय का निर्धारण करने के लिए कार्य रजिस्टरों को निर्धारित फॉर्म ई-1473 में अनुरक्षित करना चाहिए तथा सभी आवश्यक विवरणों के साथ कुशल तरीके से प्रचारित करना चाहिए।*

मामले को फरवरी  में रेलवे बोर्ड को बताया गया 2015, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है 2015 मई)।

## परिशिष्ट I (पैरा 3.7.1)

## डीएंडजी प्रभारों के प्रावधान तथा उपयेग से संबंधित रेलवे बोर्ड के निर्देशों का सार

वर्ष 2012-13 के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित राजपत्रित पदों अर्थात वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) कनिष्ठ प्रशानिक ग्रेड (जेएजी) वरिष्ठ स्केल (एसएस) तथा कनिष्ठ स्केल/ग्रुप 'बी' के सृजन हेतु मानदण्ड अनुबंधित करते है कि लेखा अर्थात सिविल, विद्युत तथा एसएंडटी विभाग के आलावा अन्य में कनिष्ठ स्केल/वर्ग।। तथा वरिष्ठ स्केल में पदों की कुल संख्या को पृथक रूप से नहीं अपितु इन पदों को एक साथ लेकर निर्धारित करना चाहिए। यह भी अनुबंधित किया गया कि वरिष्ठ स्केल में पदों की संख्या को सामान्य रूप से उन कनिष्ठ स्केल के पदों का लगभग आधा रखा जाना चाहिए जिसे महाप्रबंधक के विवेक के आधार पर 1:1 की अधिकतम सीमा तक कम किया जा सकता है। स्टोर्स विभाग के मामले में, कनिष्ठ स्केल के प्रति वरिष्ठ स्केल के पदों का अनुपात 1:2 होगा। 'टर्न की परियोजनाओं' के मामले में, परिव्यय के 25 प्रतिशत को जम्मू एंव कश्मीर जहां इसे विशेष परिस्थितियां के संदर्भ में 50 प्रतिशत तक बढाया जा सकता है, को छोड़कर स्वीकार्य कार्य प्रभारी पदों का निर्धारण करने के लिए रखना चाहिए। इसके अलावा दस प्रतिशत के एक कट को आर्थिक स्थिति के आकलन के रूप में उक्त फार्मूला के अनुसार संगणित पदों पर लागू किया जाना था। एसएजी के तीन या अधिक स्वीकार्य पदों में से एचएजी के एक पद को परिचालित किया जा सकता था।

नवम्बर 2011 में, रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिए कि डीएंडजी प्रभारों के स्थापना घटक के 50 प्रतिशत से अधिक को राजपत्रित संवर्ग के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कार्य प्रभारी स्थपना पर कुल व्यय निर्धारित डीएंडजी प्रभारों के अन्दर होना चाहिए।

रेलवे बोर्ड द्वारा फरवरी 2011 में परामर्शित रूप में कार्य प्रभारी पदों के परिचालन हेतु विभिन्न विभाग के लिए डीएंडजी प्रभारों के वितरण हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार थे:-

- स्टोर्स विभाग के लिए प्रावधान को केवल स्टोर्स विभाग द्वारा ही उपयोग किया जाना चाहिए तथा इसे किसी अन्य विभाग को पुन: आवंटित नहीं करना चाहिए।

- मेट्रोपोलिटन प्रोजेक्टस (एमटीपी) तथा नई लाइनो के लिए, जक्शन प्रबंधनों से संबंधित भाग के लिए यातायात विभाग हेतु सामान्य प्रभारों के लिए 0.318 प्रतिशत का प्रावधान बनाया जाना चाहिए अर्थात नई लाइनों या एमटीपी परियोजना की कुल लागत का 0.318 प्रतिशत नहीं बल्कि जक्शन प्रबंधन का 0.318 प्रतिशत प्रदान किया जाना है।
- योजना शीर्षो 'स्टाफ क्वार्टर , स्टाफ सुविधा, वर्कशप तथा शेड तथा मशीनरी एवं प्लांट'' के तहत यातायात विभाग के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया जाना चाहिए।
- योजना शीर्ष 42 के तहत सिविल इंजीनियरिंग आकलनों में मेकेनिकल विभाग हेतु 0.326 प्रतिशत के डीएंडजी प्रावधान बनाए जाने चाहिए। इस प्रावधान को अनुसूची '2.1' में दिए विवरण अनुसार डीएंडजी प्रभारों की सम्पूर्ण सीमा अर्थात सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए 7.83 प्रतिशत से बनाया जाना चाहिए।
- अनुबंधित प्रावधानों के अन्दर सतर्कता विभाग में कार्य प्रभारी पदों का सृजन करते समय, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पदों का सृजन आवश्यकता आधारित तथा प्रभार के योग्य हो।

निर्धारित डीएंडजी प्रभार अधिकतम सीमा है तथा अल्पतम डीएंडजी के लिए वास्तविक प्रावधान को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 हुतु निर्माण परियोजनाओं में राजपत्रित स्टाफ के पदों के सृजन विस्तार हेतु वर्ष वार मानदण्ड[168] निम्नानुसार थे:-

(आंकडे ₹ करोड़ में)

| विभाग | वर्ष | एचएजी | एसएजी | जेएजी | एसएस | जेएस/ग्रुप 'बी' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सिविल | 2011-12 | 375 | 79.4 | 24.1 | 6.6 | 5.0 |
| | 2012-13 | 395 | 83.58 | 25.37 | 6.95 | 5.26 |
| | 2013-14 | 416 | 88.10 | 35.24 | 13.22 | 8.80 |
| विद्युत | 2011-12 | कोई मानदण्ड निर्धरित नहीं | 42.70 | 13.59 | 4.13 | 2.39 |
| | 2012-13 | | 44.43 | 14.14 | 4.30 | 2.49 |
| | 2013-14 | | 46.20 | 18.48 | 6.93 | 4.62 |
| एसएंडटी | 2011-12 | कोई | 42.70 | 13.59 | 4.13 | 2.39 |

[168] मानदण्डों का रेलवे बोर्डद्वारा वर्ष 2011-12 के लिए दिनांक 27/07/2011 की पत्र संख्या 2011/ईएंडआर/3/1/पीटी/द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए दिनांक 28/05/2012 की पत्र संख्या 2012/ईएंडआर/3/1(1) द्वारा तथा वर्ष 2013-14 के लिए दिनांक 29/8/2013 की पत्र संख्या 2013/ईएंडआर/3(1)/1 द्वारा संगणित किया गया था।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | मानदण्ड निर्धारित नहीं | 43.18 | 13.74 | 4.18 | 2.42 |
| | 2013-14 | | 44.10 | 17.64 | 6.62 | 4.40 |
| लेखे | 2011-12 | 950 | 253.5 | 174.0 | 50.9 | 40.0 |
| | 2012-13 | 997 | 266.15 | 182.68 | 53.44 | 42.00 |
| | 2013-14 | 1046 | 279.35 | 191.74 | 56.09 | 44.08 |
| स्टोर्स | 2011-12 | कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं | 273.3 | 109.3 | 38.8 | |
| | 2012-13 | | 287.68 | 115.05 | 40.84 | |
| | 2013-14 | | 303.24 | 121.27 | 43.05 | |

## परिशिष्ट *II (पैरा 3.7.1)*
## विभिन्न कार्य आकलनों के लिए डीएंडजी प्रभारों की सीलिंग प्रतिशतता

| आकलन की प्रकृति | स्थापना प्रभार | स्थापना के अलावा अन्य प्रभार | कुल |
|---|---|---|---|
| ***नई लाइने*** | 7.83 | 1.30 | 9.13 |
| गैज रूपान्तरण/दोहरीकरण | 5.13 | 1.30 | 6.43 |
| अन्य सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य | 7.83 | 1.30 | *9.13* |
| ***ट्रैक नवीकरण कार्य (प्राथमिक एवं गौण)*** | | | |
| रेल नवीकरण के माध्यम से | | | *1.35* |
| स्लीपर नवीकरण के माध्यम से | | | *2.25* |
| पूर्ण ट्रैक नवीकरण | | | *1.8* |
| रेलवे विद्युतीकरण | 8.37 | 1.35 | *9.72* |
| विद्युत परियोजनाओं की यातायात/विद्युत ब्लोको में आवश्यकता नहीं | 8.73 | 1.45 | 10.18 |
| यातायात/ विद्युत ब्लाको के लिए विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता | 12.11 | 1.45 | *13.56* |
| एसएंडटी परियोजनाओं की यातायात /विद्युत ब्लॉको में आवश्यकता नहीं | 9.54 | 1.15 | 10.69 |
| एसएंडटी परियोजनाओं की यातायात/विद्युत ब्लांक में आवश्यकता | 13.68 | 1.15 | 14.83 |
| मेकेनिकल परियोजनाएं (एमएंडपी) | 4.59 | 0.40 | *4.99* |
| मेकेनिकल परियोजनाओ के अलावा अन्य (एमएंडपी) | 7.02 | 1.70 | *8.72* |

## विभिन्न कार्य आकलनों के लिए डीएंडजी प्रभारों का ब्रेकअप

(आकलित लागत की प्रतिशतता)

| विवरण | सिविल | | | आरई | विद्युत | | एसएंडटी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नई लाइन | जीसी/दोहरीकरण | अन्य सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य | | ब्लॉक के बिना | ब्लॉक सहित | ब्लॉक के बिना | ब्लॉक सहित |
| 1. स्थापना | | | | | | | | |
| 1.1 विभाग | | | | | | | | |
| (क) मुख्यालय संगठन | 0.798 | 0.527 | 0.805 | 1.502 | 1.799 | 2.506 | 1.877 | 2.722 |
| (ख) क्षेत्रीय संगठन | 5.046 | 3.309 | 5.144 | 4.696 | 5.280 | 7.664 | 6.668 | 9.674 |
| 1.2 लेखापरीक्षा एवं लेखा | 0.910 | 0.580 | 0.913 | 0.858 | 0.852 | 0.846 | 0.314 | 0.311 |
| 1.3 स्टोर्स | 0.361 | 0.240 | 0.370 | 0.631 | 0.532 | 0.529 | 0.419 | 0.415 |
| 1.4 यातायात | 0.318 | 0.210 | 0.326 | 0 293 | | 0.300 | | 0.300 |
| 1.5 कार्मिक | 0.081 | 0.043 | 0.109 | 0.079 | 0.107 | 0.106 | 0.105 | 0.103 |
| 1.6 चिकित्सा | 0.081 | 0.043 | 0.109 | 0.079 | 0.107 | 0.106 | 0.105 | 0.103 |
| 1.7 सतर्कता | 0.154 | 0.135 | 0.054 | 0.153 | *0.053* | *0.053* | *0.052* | *0.052* |
| 1.8 आरपीएफ | 0.081 | 0.043 | | 0.079 | | | | |
| | | | | | | | | |
| (क) कुल | ***7.830*** | ***5.130*** | ***7.830*** | ***8.370*** | ***8.730*** | ***12.110*** | ***9.540*** | ***13.680*** |
| **2. स्थापना के अलावा अन्य** | | | | | | | | |
| 2.1 संयंत्र निर्माण | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.20 | 0.20 |
| 2.2. अस्थायी आवास | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2.3 आवास | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 आकस्मिकता | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| 2.5 उपकरण | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 2.6 नकद/स्टोर्स की हानि | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| **(ख)कुल** | ***1.30*** | ***1.30*** | ***1.30*** | ***1.35*** | ***1.45*** | ***1.45*** | ***1.15*** | ***1.15*** |
| 3. कुल जोड़ **(क)**+ **(ख)** | ***9.13*** | ***6.43*** | ***9.13*** | ***9072*** | ***10.18*** | ***13.56*** | ***10.69*** | ***14.83*** |

राजपत्रित पदों की मुद्रा के सृजन एवं विस्तार हेतु वर्ष 2012-13 के लिए मानदण्ड

| वर्ष 2012-13 के लिए मानदण्ड | | | (आंकडे ₹ करोड़ में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| पद | सिविल | आरई सहित विद्युतीय | एसएंडटी | लेखा | स्टोर्स |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| एसएजी | 83.58 | 44.43 | 43.18 | 266.15 | 287.68 |
| जेएजी | 25.37 | 14.14 | 13.74 | 182.68 | 115.05 |
| एसएस | 6.95 | 4.30 | 4.18 | 53.44 | 40.84 |
| जेएस/ग्रुप 'बी' | 5.26 | 2.49 | 2.42 | 42.00 | |